सम्पादक
डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी
सहायक
मु0 गुफ़रान नदवी

कार्यालय
मासिक सच्चा राही
मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
पो0 बॉ0 नं0 93
नदवतुल उलमा, टैगोर मार्ग, लखनऊ
फोन : 0522–2740406
फैक्स : 0522–2741221
E-mail : nadwa@sancharnet.in

सहयोग राशि

एक प्रति	₹ 12/-
वार्षिक	₹ 120/-
विशेष वार्षिक	₹ 500/-
विदेशों में (वार्षिक)	30 यु.एस. डालर

चेक/ड्राफ्ट पर यह लिखें
"सच्चा राही"
पता
सेक्रेटरी, मजलिसे सहाफ़त व नशरियात
नदवतुल उलमा, लखनऊ–226007

मुद्रक एवं प्रकाशक अतहर हुसैन द्वारा काकोरी आफसेट प्रेस से मुद्रित एवं दफ्तर मजलिसे सहाफ़त व नशरियात नदवतुल उलमा, लखनऊ से प्रकाशित।

हिन्दी मासिक
सच्चा राही
सामाजिक एवं साहित्यिक
लखनऊ

जुलाई, 2012 वर्ष 11 अंक 05

रमज़ान का महीना

रमज़ान का महीना
कुर्आन का महीना
रोजों की बरकतों का
नेकी में सबक़तों का
गुरबा पे शफ़क़तों का
रहमाँ की रहमतों का
रमज़ान का महीना
रहमान का महीना
पढ़ते हैं सब तरावीह
लेते हैं लुत्फ़े सहरी
इफ़्तार जो किया है
रब की मिली रज़ा है
रमज़ान का महीना
गुफ़रान का महीना

आपके पते के साथ जो खरीदारी नम्बर है अगर उसके नीचे लाल या काली लाइन है तो समझें कि आपका सालाना चन्दा खत्म हो चुका है। अतः आप जल्द ही अपना चन्दा भेजने का कष्ट करें। और मनीआर्डर कूपन पर अपना खरीदारी नम्बर अवश्य लिखें। अगर आपका फोन या मोबाइल हो तो उसका नम्बर भी लिखें।

विषय एक दृष्टि में

कुर्आन की शिक्षा	मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी	3
प्यारे नबी की प्यारी बातें	अमतुल्लाह तस्नीम	4
इनआ़मात का मुबारक महीना रमज़ान	डॉ0 हारून रशीद सिद्दीक़ी	5
जगनायक	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	8
शाबान	मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी	11
इस्लाम विरोधी प्रश्नों के उत्तर	नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी	12
इस्लाम में ख़त्ना	इदारा	14
इस्लाम और फैशन	मुफ्ती मुहम्मद कमालुद्दीन राशदी	17
मदरसों के छात्रों से कुछ बातें	मौलाना सै0 अब्दुल्लाह हसनी नदवी	19
रमज़ान का महीना	हज़रत मौ0 सै0 मु0 राबे हसनी नदवी	21
लैलतुल कद्र	फौज़िया सिद्दीक़ा फाज़िला	25
रमज़ानुल मुबारक	मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी	28
आपके प्रश्नों के उत्तर	मुफ़्ती ज़फर आलम नदवी	32
आदर्श शासक	नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी	35
आ़म आदत और ख़र्के आदत	इदारा	37
अंतर्राष्ट्रीय समाचार	डॉ0 मुईद अशरफ नदवी	40

क़ुर्आन की शिक्षा

—मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी

अनुवाद :-

क्या तुझको मालूम नहीं कि अल्लाह ही के लिए है सल्तनत आसमान और ज़मीन की, और नहीं तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा कोई हिमायती और न मददगार[1](107)। क्या तुम मुसलमान भी चाहते हो कि सवाल करो अपने रसूल से, जैसे सवाल हो चुके हैं मूसा से उससे पहले, और जो कोई कुफ्र (इन्कार) करे ईमान के बदले तो वह बहका सीधी राह से[2](108)। मन करता है कि बहुत से अहले किताब (ईश ग्रन्थ वाले) का कि किसी तरह तुमको फेर कर मुसलमान से काफिर बना दे बसबब अपने दिली हसद के, बाद उसके ज़ाहिर हो चुका उनपर हक़[3], अतः तुम दरगुज़र करो और ख्याल में न लाओ, जब तक भेजे अल्लाह अपना आदेश[4], निः सन्देह अल्लाह हर चीज़ पर प्रभुत्व रखने वाला है[5](109)। और कायम रखो नमाज़ और देते रहो ज़कात और जो कुछ तुम करते हो सब देखता है[6](110)। और कहते हैं कि हर्गिज़ न जाएंगे जन्नत में, मगर जो होंगे यहूदी या ईसाई[7], ये आरजुएं बाँध ली हैं उन्होंने, कह दे, ले आओ प्रमाण अपना यदि तुम सच्चे हो[(111)]।

तफ्सीर (व्याख्या):-

1. अर्थात इधर तो अल्लाह की कुदरत सब पर शामिल, उधर उसकी अपने बन्दों पर उच्च श्रेणी की कृपा, तो अब मसालेह और मनाफे बन्दों की खबर और उनपर कुदरत किसको हो सकती है, और उसके बराबर बन्दों की खैर–ख्वाही कौन कर सकता है।

2. अर्थात यहूदियों की बातों पर कदापि भरोसा न करना, जिस किसी को यहूदियों के शक डालने से शुब्ह पड़ गया वह काफिर हुआ। उसकी एहतियात रखो और यहूद के कहने से तुम अपने नबी के पास शुब्हे न लाओ, जैसे वह अपने नबी के पास लाये थे।

3. अर्थात बहुत से यहूदियों की तमन्ना है कि इस प्रकार तुमको ऐ मुसलमानो! फेर–फेर के काफिर बना दें, हालाँकि उन पर जाहिर हो चुका है कि मुसलमानों का दीन (धर्म), उनकी किताब (ग्रन्थ) उनका नबी (सन्देष्टा) सब सच्चे हैं।

4. अर्थात जब तक हमारा कोई आदेश न आए, उस समय तक यहूद की बातों पर सब्र करो। अंततः आदेश आ गया कि यहूद को मदीने से निकाल दो।

5. अर्थात अपनी कमज़ोरी से न झिझको, अल्लाह अपनी कुदरत से तुमको प्रिय और यहूद को अपमानित करेगा।

6. अर्थात उनकी यातना

शेष पृष्ठ.....24 पर

प्यारे नबी की प्यारी बातें

—अमतुल्लाह तस्नीम

वापसी पर नमाज़-

हज़रत काब बिन मालिक रज़ि0 कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब सफर से आते तो पहले मस्जिद में जाते और दो रकात नमाज़ पढ़ते थे। (बुख़ारी—मुस्लिम)

औरत का अकेले यात्रा करना सही नहीं-

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा, जो औरत अल्लाह और आखिरत (परलोक) पर ईमान लाई हो, उसको ये जायज़ नहीं कि बग़ैर महरम (जिससे शादी करना नाजायज़ है) के एक रात—दिन की दूरी तय करे।

(बुख़ारी—मुस्लिम)

औरत बग़ैर महरम हज को न जाए-

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 कहते हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि मर्द किसी औरत के पास तन्हा न हो, उसके साथ महरम (जिससे निकाह अवैद्य हो) ज़रूर हो और बग़ैर महरम के सफर न करे। एक साहब ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी औरत हज को चली गई और मेरा नाम अमुक युद्ध जाने हेतु लिखा गया है। आप मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा, तुम अपनी पत्नी के साथ जाकर हज करो।

(बुख़ारी—मुस्लिम)

कुर्आन की महानता-

पवित्र कुर्आन क़यामत में सिफारिश करेगा- हज़रत अबू उमामा रज़ि0 कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा, कुर्आन पढ़ा करो, ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करेगा। (मुस्लिम)

हज़रत नव्वास बिन समआन रज़ि0 कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम कहते थे कि कुर्आन और वह लोग जो दुनिया में इस पर अमल करते थे, क़यामत के दिन हाज़िर किये जाएंगे, सूर—बकरः और आले इमरान आगे—आगे होंगी। ये दोनों अपने पढ़ने वालों और अमल करने वालों के लिए सिफारिश करेंगी। (मुस्लिम)

सबसे अच्छा आदमी-

हज़रत उस्मान बिन अफ्फान रज़ि0 कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा, तुममें सबसे अच्छा आदमी वह हे जो कुर्आन पढ़े और पढ़ाये। (मुस्लिम)

अटक-अटक कर पढ़ने वाले के लिए दोगुना सवाब (पुण्य) है-

हज़रत आइशा रज़ि0 कहती हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा, जो आदमी कुर्आन को समझ कर पढ़ता है तो

शेष पृष्ठ.....7 पर

इनआ़मात का मुबारक महीना रमज़ान

—डॉ0 हारून रशीद सिद्दीकी

अल्लाह तआला अपने बन्दों पर हर वक्त इनआ़मात करते रहते हैं, इसी को कुर्आन मजीद में बताया गया कि अगर तुम अल्लाह की नेअ़मतें गिनो तो गिन न पाओगे। (सूरतुन्नहल की आयत नं018 का मफहूम)। अल्लाह तआला की अनगिनत नेअ़मतें हैं, उनमें एक बड़ी नेअ़मत रमज़ान मुबारक का महीना है जो अल्लाह तआला के बेशुमार इनआ़मात का मुबारक महीना है। रमज़ान के महीने में ही अल्लाह तआला ने अपने बन्दों की हिदायत के लिए कुर्आन मजीद नाजिल फरमाया। कुर्आन मजीद अल्लाह का कलाम है। इस कुर्आन में लोगों की हिदायत की बड़ी दलीलें और रहनुमाइयां (पथ प्रदर्शन) हैं। हक़ व बातिल में फैसला करने वाली बातें हैं। यह कुर्आन लौहे महफूज़ से लैलतुल क़द्र की रात दुनिया वाले आसमान पर उतारा गया, फिर 17 रमजान को पहली "वही" ग़ारे हिरा में आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर नाजिल हुई, जिसमें सूरए—इकरा की शुरु की पाँच आयतें उतरीं। फिर कुर्आन मजीद के नुजूल का सिलसिला जारी रहा और ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा—थोड़ा उतरता रहा, यहाँ तक कि 23 वर्षों में पूरा कुर्आन नाजिल हुआ। लेकिन इसका नुजूल आसमाने दुनिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर यानी दोनों नुजूल रमज़ान ही के महीने में हुए। अल्लाह तआला ने फरमाया कि जो शख़्स इस महीने को पाए, वह इसमें रोजा रखे, अलबत्ता जो बीमार हो और बीमारी के सबब रोजा रखने में दुश्वारी हो, या कोई सफर पर हो और सफर के सबब रोजा रखने में दुश्वारी हो तो यह बीमार और मुसाफिर अपनी बीमारी और सफर के दौरान रोजा छोड़ सकते हैं, मगर बाद रमज़ान जब सेहत हो और मुकीम हो तो छूटे हुए रोज़े पूरे कर ले। यह इसलिए है कि अल्लाह तआला तुम्हारे साथ आसानी चाहता है तंगी नहीं चाहता और बाद में रोज़े रख लेने का इस लिए हुक्म दिया ताकि तुम्हारे रोज़ों की गिनती पूरी हो जाए और तुम अल्लाह की हिदायत, रहनुमाई पर उसकी बड़ाई बयान कर सको और तुम शुक्रगुज़ार बन्दे बन जाओ। (देखिए सूर—ए—बकरह आयत नं0 185)

रोज़ा हर आक़िल, बालिग़ मुसलमान पर (चाहे वह मर्द हो या औरत) फर्ज़ है। अल्लाह तआला ने हर हर इबादत पर अपने फज्ल व करम व इनआ़मात से नवाज़ने का वादा फ़रमाया है, लेकिन रोज़ेदार को जो बदला देने का वादा फरमाया है उसे अक्ल संभाल नहीं पा रही है। हदीस में आता है कि मैं खुद रोज़ेदार का बदला हूँ।

अल्लाहु अकबर! जिस रोज़े की तैयारी के लिए सहरी खाई जाती है उसे सुन्नत बताया और उसपर बड़े सवाब व बरकत का वादा फरमाया, रमज़ान में जो भी इबादत की जाए चाहे वह इबादत बदनी हो, जैसे नफ्ल नमाज़ें पढ़ना, तिलावत करना, तस्बीहात पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना वगैरह, चाहे माली इबादत हो जैसे सदक़ा–खैरात करना, किसी की सहरी व इफ्तार का इन्तिज़ाम कर देना, किसी के कपड़ों का नज्म कर देना वगैरह इन सब का सवाब अल्लाह तआला अपने फज्ल से फर्ज़ इबादत के बराबर देंगे, और फर्ज़ इबादतों का सवाब बढ़ाकर सत्तर गुना कर देंगे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है और बहुत अता करने वाला है। लिहाजा हम को चाहिए कि हम फ़राइज़ व वाजिबात में सुस्ती व कोताही न करें और कोशिश करें कि सुन्नत नमाज़ें एहतिमाम से पढ़ें, और अल्लाह जितनी तौफ़ीक़ दे नफ्ल नमाज़ें पढ़ें, सुब्हानल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर जैसी तस्बीहात खूब पढ़ें, दुरूद शरीफ की कसरत रखें, ख़ास तौर से कुर्आन मजीद की तिलावत का एहतिमाम करें, अगर कुर्आन मजीद पढ़े न हों तो जो सूरतें नमाज़ के लिए याद की हों उनको बार–बार पढ़ते रहें, ज़बानी सूरतें पढ़ने के लिए तो वुज़ू की भी ज़रूरत नहीं है, आप काम करते, रास्ता चलते छोटी–छोटी सूरतें पढ़ कर सत्तर गुना सवाब हासिल कर सकते हैं।

जिस तरह इबादतें करने में सवाब मिलता है उसी तरह गुनाह का मौक़ा आ जाने पर गुनाह से बचने का सवाब भी बढ़ा कर मिलेगा। आप चन्द साथियों के साथ बैठे हैं, किसी की गीबत होने लगी तो आपने रोक दिया या आप का ग़ीबत का इरादा है और आप रुक गये तो आप को खूब सवाब मिला। इसी तरह आप कहीं मुलाज़िम हैं, रिश्वत मिल रही थी, आपने न लिया, आपने भारी सवाब कमा लिया। गरज कि जिस बुराई या गुनाह से आपने अपने को रोज़े की हालत में बचाया तो आम दिनों के मुकाबले आपको ज़्यादा सवाब मिला।

अल्लाह तआला से इस जायद इनआ़म को हासिल करने की गरज़ से अकसर दीनदार मालदार भाई अपने माल की जक़ात रमजान में अदा करके सत्तर गुना सवाब लेते हैं, इसी तरह अगर्चि सदक–फित्र उन पर ईद के रोज़ वाजिब होता है, मगर वह रमजान ही में अदा कर देते हैं, इससे दो फ़ायदे हुए, एक तो सदक़ा देने वाले को सत्तर गुना सवाब मिला, दूसरे सदक़ा पाने वाले ने उसे ईद की तैयारी में खर्च किया, अगर ईद के रोज़ देता तो ईद के दिन की ज़रूरतों में काम न आता।

जिस तरह सहरी में खाकर सवाब पाया, उसी तरह भूख–प्यास की बेचैनी है, इन्तिज़ार है कि कब वक्त हो और इफ्तार करें, लेकिन अपनी इस शदीद ख़्वाहिश पूरी करने पर सवाबों का इनआ़म है। अल्लाह तौफ़ीक़ दे अगर आपने अपने इफ्तार में दूसरे रोज़ेदार को शरीक़

कर लिया तो बड़ा सवाब कमाया। यहाँ याद रहे कि लोग अपने बराबर वाले को इफ्तार कराने को तरजीह देते हैं, बेशक रोज़ेदार को इफ्तार कराने का बड़ा सवाब है, अमीर हो या गरीब, लेकिन गरीब व मुहताज़ को इफ्तार कराने में कहीं ज़्यादा सवाब है, अल्लाह आपको तौफीक़ दे कि जिस गरीब को इफ्तार कराएं अगर उसे मुमकिन हो तो मग़रिब की नमाज़ के बाद पेट भर खिला दें तो बड़ा सवाब पाएंगे।

रमज़ान में अल्लाह तआ़ला का एक बड़ा इनआ़म तरावीह की नमाज़ है, जो इशा के बाद 20 रकअ़तें दो–दो रकअ़त करके पढ़ी जाती हैं, बताइये कितना बड़ा इनआ़म है 20 रकअतें पढ़ कर 1400 रकअ़तों का सवाब पाया। यह नमाज़ फर्ज़ की तरह जमाअत से पढ़ी जाती है और इसमें कुर्आन मजीद जहरन (आवाज़ से) पढ़ते हैं और पूरे महीने में एक खत्म का एहतिमाम करते हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि अगर तरावीह एहतिमाम से पढ़ लें तो गोया कुर्आन पूरा सुनने का एहतिमाम किया और सुनना खुद पढ़ने ही की तरह है। यह नमाज़ सुन्नते मुअक्किदा है, इसमें कोताही नहीं करना चाहिए। तरादीह औरतों के लिए भी सुन्नते मुक्किदा है, अलबत्ता जमाअत से पढ़ना उनको मुआफ़ है, बहुत जगह मस्जिदों में औरतों की जगहें खास कर दी जाती हैं और वह मस्जिद जाकर पर्दे से तरावीह पढ़ती हैं, लेकिन हरमैन शरीफैन को छोड़ कर दूसरी मस्जिदों के मुकाबले उनकी तरावीह घर में बेहतर है, बहुत से उलमा का यही फैसला है।

रमज़ान के इनआ़मात से एक अहम इनआ़म आखिरी अशरे का एतिकाफ़ है, जिसमें लैलतुल क़द्र जिसमें इबादत का सवाब बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कि लैलतुल क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है। एतिकाफ़ में इस का पा लेना आसान हो जाता है।

इस सबके साथ एक अहम बात की तरफ़ तवज्जुह दिलाऊँगा वह यह कि जो मजदूर और मुलाज़िम सख़्त मशक़्क़त के सबब रमज़ान में रोज़ा नहीं रख पाते उनको चाहिए कि बीमार व मुसाफिर की तरह दूसरे दिनों में छूटे रोज़ों की कजा ज़रूर अदा कर लें। अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ से नवाज़े। आमीन!

❖❖❖

प्यारे नबी प्यारी बातें.....

वह बुजुर्ग फरिश्तों के साथ होगा और जो अटक–अटक कर मुश्किल से पढ़ता है उसके लिए दोगुना सवाब (पुण्य) है। (बुख़ारी–मुस्लिम)

पवित्र कुर्आन का प्रभाव–

हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ि0 कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने कहा कि अल्लाह इस ग्रन्थ (पवित्र कुर्आन) के कारण कुछ लोगों के दरजे बुलन्द करता है और कुछ लोगों को अपमानित करता है। (मुस्लिम)

❖❖❖

जगनायक

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी —अनु0 मुहम्मद गुफ़रान नदवी

विश्वव्यापी भाईचारा-

अब कुरैश के मुसलमानों के मदीना आ कर औस व ख़ज़रज के साथ मेल—जोल कर लेने से, मदीने की आबादी में दो नस्लों के बीच अख़्लाक़ी व दीनी रिश्ते ने कम से कम इन दोनों के बीच असबियत (पक्षपात) वाली दूरी बड़ी हद तक़ खत्म कर दी और इस्लाम के झण्डे के नीचे दोनों एक हो गये, दोनों के मुरशिद व रहनुमा (मार्गदर्शक) एक हो गये, और इस तरह उससे इस्लामी जीवन—व्यवस्था को ख़ास ताक़त हासिल हो गई, जिसको हुजूर सल्ल0 की दानिश मन्दाना मुहब्बत व अख़्लाक़ वाली रहबरी हासिल हुई, इस तरह यहां एक ऐसी ताकत बन गई जिसकी बाग—डोर हुजूर सल्ल0 के हाथों में थी। मक्का से आने वाले मुसलमान इस्माईली नस्ल से होने की वजह से औस व ख़जरज के वास्तविक रिश्तेदार न थे, बल्कि एक दूसरे को एक तरह से ग़ैर (भिन्न) बल्कि हरीफ़ (विपक्षी) समझते थे, इस दूरी और अन्जानेपन को खत्म करने के लिए हुजूर सल्ल0 ने यह किया कि उनमें बाक़ाइदा मुवाख़ात अर्थात भाई—भाई होने का समझौता रिश्तेदारी के तरीक़े पर करा दिया, जिससे दोनों की नस्ली दूरी कुरबत व भाईचारे में बदल गई।

मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी नदवी लिखते हैं :— "यह मुवाख़ात (भाईचारा) अपनी किस्म की एक अलग इस्लामी व विश्वव्यापी भाईचारे की बुनियाद, एक दावत वाली उम्मत के क़याम (स्थापना) की भूमिका थी, जो एक नई दुनिया की तामीर के लिए वजूद में आ रही थी और जो सही व निश्चित अक़ाएद और दुनिया को बदबख्ती व बदनज़्मी से नजात देने वाले नेक मकासिद (उद्देश्य) और ईमान व वास्तविक भाईचारा और संयुक्त क़ोशिशों के सम्बन्ध के लिए क़ायम (स्थापित) हो रही थी। इस तरह मुहाजेरीन व अन्सार के बीच यह सीमित भाईचारा, मानव जगत की नई जिन्दगी का पेशख़ीमा (भूमिका) साबित हुई"। (नबी—ए—रहमत—पृ0—266) चुनांचे इस्लाम के इस शहर में आने और इस्लामी हिदायात क़बूल कर लेने से उनको भाई—भाई बनने की तलक़ीन (नसीहत) की गयी और क़बाइली असबियत (पक्षपात) छोड़ कर इन्सानी हमदर्दी और इन्साफ़ की तलक़ीन की गई, अतः बावजूद क़बाईली नफरत के भाई चारगी पैदा हुई और उन्होंने आपस में ही नहीं बल्कि मक्के के लोगों को भी अपना भाई बना लिया। आप सल्ल0 के वहां तशरीफ़ लाने से मुहब्बत व भाईचारगी हमदर्दी व ग़मख़्वारी की शानदार फिज़ा क़ायम हो गई।

मदीने के यहूदियों से समझौता-

मदीने में अरबों के साथ जो यहूदी क़बीले आबाद थे, वह हक़ीक़त में शाम के

इलाक़े के थे, वह अरबों के खजूर वाले इलाकों में से किसी एक इलाके में नबी आने की पेशीनगोई (भविष्यवाणी) अपनी किताब में देख कर यहां आकर बस गये थे। अपनी नस्ली फर्क की बिना पर अपने ज़हन और ख़ुसूसियात (विशेषताओं) से अरबों से भिन्न थे और मज़हबी लिहाज़ से अलाहिदगी (दूरी) रखते थे। इस तरह नस्ली, मज़हबी और वतनी बुनियाद पर यहां अस्ली बाशिन्दों (वासियों) से अलग हैसियत रखते थे। इसी के साथ इल्मी और आर्थिक लिहाज़ से अरबों पर उनको बरतरी हासिल थी, जिससे वह राजनीतिक और आर्थिक फायदा उठाते थे, लेकिन आबादी में संख्या के लिहाज़ से अरबों को उन पर बरतरी (उच्चता) हासिल थी। यहूदी लोग अरबों पर अपनी आर्थिक उच्चता और इल्मी बुनियाद पर अरबों को अपने से कमतर समझते थे और माली मामलात में उन पर अपना ज़ोर दिखाते थे, और इल्मी बुनियाद पर धमकाते हुए कहते थे कि हमारी किताबों में यह पेशीनगोई है कि इन इलाक़ों में एक नबी आने वाला है, उनके आने पर हम उनकी क़ियादत (नेतृत्व) में तुम पर पूरे तौर पर अपना ग़लबा और बरतरी (प्रभुत्व और श्रेष्ठता) हासिल कर लेंगे[1]।

हालाँकि उनका दीन दीने मूसवी था और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के बरगुज़ीदा नबी थे, लेकिन उन यहूदियों और दूसरे इलाकों के यहूदियों का भी अपने दीन पर अमल पूरा नहीं था, उन्होंने अपनी आसमानी किताब "तौरेत" में अपनी मर्ज़ी से कमी और ज़्यादती भी की थी और इसकी बुनियाद पर बाज़ ग़लत कामों को भी सही क़रार दे कर अपनी पसन्द के मुताबिक़ अमल करते थे।

इस तरह अल्लाह तआला की मुसलसल (निरन्तर) नाफ़रमानी की बिना पर अल्लाह तआला ने उनको मगज़ूब (ग़ज़ब का हक़दार) क़रार दे दिया। लेकिन वह इस ग़लत फहमी में थे कि आने वाला नबी उन्हीं में से होगा, क्योंकि कुछ ज़माने से ऐसा ही हो रहा था। अल्लाह तआला के बरगुज़ीदा नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद होने की बिना पर उन पर फ़ज़्ल (इनआम) हो रहा था, जिसकी बराबर नाकद्री ने उनको ग़ज़ब (प्रकोप) का हक़दार बना दिया। लेकिन वह अपनी नासमझी की बिना पर उस आख़िरी नबी के अपने ही में होने की उम्मीद रखते थे और जगह की अलामतों (निशानों) की बिना पर उनको कुछ ख़ानदानी शाख़ें मदीना और उसके उत्तरी इलाकों में आकर बस गई थीं और इन्तिज़ार में थे।

लेकिन जब नबी उनके बजाये अरबों में "मबऊस" हुआ तो उनको नागवार हुआ और उन्होंने मानने से इन्कार कर दिया। लेकिन मदीने के अरबो ने यहूदियों से जो सुना था उसकी बिना पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नुबूवत की खबर उनको यहूदियों की बताई हुई बात से मुताबिकत (समानता) रखने

---

1. सीरत इब्ने हिशाम 1/428

वाली मालूम हुई, बल्कि उनको उसकी बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की नबूवत के सही होने की एक तरह से दलील भी मालूम हुई, इसीलिए मदीने में आसानी के साथ इस्लाम के क़बूल करने की सूरत बन गई और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मदीना तशरीफ ले आए तो यहूद ने यह देख कर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ मदीने वालों की अकसरियत (बहुसंख्यक) हो गई है, उस अकसरियत से डर कर अपनी नागवारी (अप्रियता) अपने दिल ही में रखी, उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सूरते हाल को अच्छी तरह समझ लिया था, लिहाज़ा मुनासिब समझा कि यहूदियों से शान्ति समझौता कर लिया जाये, ताकि मदीने की आबादी में किसी तरह की बदनज़्मी का माहौल न बने। यहूदी, चूंकि अल्पसंख्यक थे, अतः उन्होंने यह समझौता आवश्यकता के रूप में कबूल कर लिया। इस समझौते में अरब मुसलमानों और यहूदियों के बीच एक दूसरे के साथ शान्तिपूर्ण व्यवहार और एक दूसरे की मज़हबी व समाजी खुद मुख्तारी रखी गई थी और बाहरी खतरा सामने आने पर एक दूसरे की मदद करना तय किया गया था। इस मुआहिदे (समझौते) के बाद मदीना शहर में इस्लामी दावत और इस्लामी जीवन–व्यवस्था के इख्तियार करने में कोई रुकावट बाक़ी न रही[1]।

इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था की स्थापना–

चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यहां तशरीफ ला कर यहां के निवासियों के बीच एकता व भाईचारा पैदा करके इस्लाम की सामाजिक जीवन –व्यवस्था की स्थापना कर दी। जिसमें सब मुसलमान एक अमीर के मातहत (अधीन) शरीअत के मुताबिक ज़िन्दगी गुजारने के उसूल (नियम) के पाबन्द हो गये। इस निज़ाम में एक अहम मसअला यह था कि मक्का से आए हुए मुसलमान और मदीने में रहने वाले मुसलमान अलग–अलग वतन और अलग–अलग क़बीले के थे, और मक्के से आने वालों को अपने वतन के सामान और अपने आर्थिक साधन सब छोड़ कर ख़ाली हाथ उस नई जगह आना पड़ा था, जहां उनको अपनी जीविका साधन का तुरन्त प्रबंध करना आसान न था, लेकिन उन दोनों की ईमानी ज़िन्दगी उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तरबियत के असर से इस स्तर की हो गई थी कि आप जो जीवन–व्यवस्था प्रस्तावित करते वह मान ली जाती। आपने इस्लामी भाईचारा और आपसी मदद के उसूल पर उनमें आपसी भाईचारा का हल मुकर्रर फ़रमाया कि मक्के से आए हुए मुसलमानों और मदीने के वासियों के बीच में ऐसा भाईचारा क़ायम हो कि उसके द्वारा हर मदनी के साथ एक मक्की पूरी तरह शरीक और मिस्ल भाई के हो

1. सीरत इब्ने हिशाम 1/500–504

शेष पृष्ठ.....27 पर

शाबान (शअबानुल मुअ़ज़्ज़म)

—मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी

शाबान हिजरी कैलेण्डर का आठवां महीना है। उसके बाद ही रमज़ान मुबारक की आमद होती है, इस तरह यह महीना माहे मुबारक के इस्तक्बाल (स्वागत) की तैयारी का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल इस माह में ज़्यादा रोज़े रखने और सदका करने का था।

इस माह की पन्द्रहवीं रात आमतौर पर "लैलतुल बराअत" (नजात की रात) से मौसूम (नामित) है, इस रात के बाज़ फजाइल रिवायात में मौजूद हैं। हजरत आइशा रज़ि0 रावी हैं कि एक रात मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नहीं पाया, तलाश में निकली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जन्नतुल बकी, कब्रिस्तान में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, क्या तुम समझती हो कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर ज़्यादती करेगा? अर्ज़ किया, मुझे ख्याल हुआ कि कहीं आप अपनी बाज अज़वाज (बीवियों) के यहाँ चले गये हों, फरमायाः पन्द्रहवें शाबान की रात को अल्लाह तआला आसमानी दुनिया की तरफ रुख़ फरमाते हैं और बनू कल्ब (जो पशु पालन में श्रेष्ठ थे) की भेड़ों के बालों की तादाद से ज़्यादा लोगों की मग़फिरत फरमाते हैं।

(सुनने तिर्मिजी 156/1)

इस सिलसिले में दूसरी रिवायत हज़रत अली रज़ि0 की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, पन्द्रहवीं शाबान की रात में इबादत करो और दिन में रोज़ा रखो, अल्लाह तआला इस रात सूरज डूबने के वक्त दुनिया के आसमान की जानिब नूजूल फरमाते हैं और फरमाते हैं : आगाह हो जाओ! कोई है मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूँ? कोई है रोज़ी चाहने वाला कि मैं उसे रोज़ी दूँ, कोई मुसीबत में है कि मैं उसे मुसीबत से निकालूं और आफियत बख्शूं? इसी तरह दूसरी बातों के बारे में पूछते रहते हैं यहाँ तक की सुबह हो जाती

(इब्ने माजा 253/1)

फिर भी यह दोनों सनद के एतिबार से कमज़ोर हैं, और उनका कमज़ोर होना करीब करीब मुत्तफक अलैहि (सर्व सहमति है) है, दूसरी रिवायत जो मुसनद अहमद और बैहकी वगैरह में नक्ल की गई है वह और कमज़ोर हैं, इसीलिए मालिकी फुकहा का रुझान तो इसी तरफ मालूम होता है कि पन्द्रहवीं शाबान का रोज़ा और उस रात में खास तौर से इबादत का एहतिमाम शरीअत से साबित नहीं है। कुरतबी रह0 काजी अबू बक्र बिन उरवी से नक्ल करते हैं कि पन्द्रहवीं शाबान की रात के बारे में

शेष पृष्ठ.....18 पर

इस्लाम विरोधी प्रश्नों के उत्तर

—नजमुस्साकिब अब्बासी नदवी

इस्लाम में शराब हराम क्यों?

प्रश्नः इस्लाम धर्म में शराब पीने की मनाही (BANDED) क्यों है?

उत्तरः इस्लाम धर्म के अन्तिम सन्देष्टा (PROPHET) हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है कि "शराब से बचो" निः सन्देह वह बुराईयों की जड़ है।" तजुर्बे की रौशनी में इस बात को दुनिया मान चुकी है कि शराब हर प्रकार से हानिकारक है। इसी शराब के कारण इन्सान बहुत से पापों अर्थात चोरी, डकैती, हत्या, व्यभिचार, बलात्कार तथा अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। अनेक सड़क दुर्घटनाओं में शराब का ही हाथ होता है। आज जो असंख्य बीमारियां अस्तित्व में आ रही हैं और पारिवारिक जीवन छिन्न–भिन्न हो रहा है तथा सामाजिक विसंगतियां पैर फैला रही हैं, उसका मुख्य कारण शराब है।

पवित्र कुर्आन में शराब की निषेधता– पवित्र कुर्आन कहता है "ऐ ईमान वालो! शराब और जुआ और बुत, पाँसे ये सब शैतान की बनाई हुई गन्दगियाँ हैं, अतः तुम उनसे परहेज़ करो, उम्मीद है कि इस परहेज़ से तुम्हें सफलता मिलेगी। शैतान तो चाहता ही है कि शराब और जुए द्वारा तुम्हारे बीच शत्रुता और ईर्ष्या डाल दे और तुम्हें खुदा की याद और नमाज़ से रोक दे, क्या ये मालूम हो जाने के बाद अब तुम उनसे रुकोगे? अल्लाह की और रसूल की बात मानो और बाज़ आ जाओ, किन्तु यदि तुमने अवज्ञा की तो जाने लो कि हमारे संदेष्टा (रसूल) का काम इतना ही है कि सन्देश को साफ बयान करे दे।"

(सूरः माइदा, 90–92)

पवित्र हदीस में शराब की निषेधता– हज़रत इब्ने उमर रज़ि0 कहते हैं कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बताया कि अल्लाह ने लानत की है शराब पर, उसके पीने वाले पर, उसके निचोड़ने वाले पर, उसके बेचने वाले पर, उसके खरीदने वाले पर, उसके पिलाने वाले पर, उसके उठाने वाले पर, और उस व्यक्ति पर जिसके लिए उठा कर ले जाई गई।

(अबू दाऊद–इब्ने माजा–मिश्कात)

शराब देश और मानव समाज के लिए घातक–

1. अनेक प्रकार के काम करने वाले मजदूरों और कारीगरों पर शराब के कारण बेदिली और काहिली सवार हो जाती है, इस प्रकार उनके कर्मणयता और प्रवीणता पर आँच आती है, जिससे देश को हानि पहुंचती है।

2. शराब के कारण मानव जाति में एक दूसरे के प्रति संवेदनहीनता की भावना जन्म लेती है, जिसका परिणाम ये होता है कि उनमें देश भक्ति और राष्ट्रीय चेतना तथा सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध जिहाद का जज्बा पूर्ण

रूप से समाप्त हो जाता है।

3 शराब के सेवन के कारण प्रतिदिन होने वाली अनेक तलाक की घटनाएं समाज के बुनियादी ढांचे को हिला कर रख देती हैं। इस अवसाद से पति–पत्नी अथवा उनके बच्चे अपराध की ओर रुख करते हैं और समाज व देश के लिए घातक सिद्ध होते हैं।

4. शराब के सेवन से तुरन्त गुस्सा आता है और वह अनाप–शनाप बकने तथा अश्लील हरकतें करने लगता है। यहां तक कि वह पवित्र रिश्तों अर्थात माता–पिता अथवा बड़ों और छोटों में भेद करने में असमर्थ हो जाता है, जिससे सभ्यता (CIVILAZATION) और नैतिकता (MORALITY) के अस्तित्व पर आँच आती है।

5. शराब पी कर मस्त होने के बाद व्यक्ति को अच्छे–बुरे की समझ खत्म हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि विश्व में प्रतिदिन लगभग तीस हज़ार से अधिक बलात्कार की घटनाएं घटती हैं, और बलात्कारियों में अधिकतर वे लोग होते हैं जिन्होंने अपराध के समय शराब पी रखी थी।

लड़कियों से छेड़–छाड़ की घटनाओं में अधिकतर शराबी ही लिप्त होते हैं। आंकड़ों के अनुसार लगभग नौ प्रतिशत अमेरिकी व यूरोपी माँ–बाप और भाई–बहन जैसे पवित्र रिश्तों के साथ यौन सम्बन्ध बनाते हैं। और इसका मूल कारण भी शराब है।

शराब पीने से पैदा होने वाली बीमारियाँ- रसायन विज्ञान के माध्यम से हमें मालूम है कि अल्कोहल गलाने अथवा मिलाने हेतु उपयोग किया जाता है, विशेषतः चर्बी (FAT) गलाने के लिए। ये अल्कोहल समस्त मानव शरीर को गलाने में बड़ी तत्परता दिखाते हैं। इसलिए शराब मानव शरीर के लिए हर प्रकार से एक हानिकारक कैमिकल माना गया है। जो लोग इससे शक्ति व ऊर्जा प्राप्त करने की बात करते हैं वह अपनी अक्ल पर मातम करें। आइये संक्षेप में शराब से उत्पन्न बीमारियों का उल्लेख करते हैं :–

1. शराब के कारण मसूढ़ों में सूजन और ज़ख़्म हो जाता है और दाँत की बीमारी हो जाती है, जो रोक–थाम न होने के कारण कैंसर (CANCER) का रूप धारण कर लेती है।

2. शराब के सेवन से गले और आहार नली में कैंसर की संभावना बहुत बढ़ जाती है, आँत, सिर, गर्दन और जिगर में भी कैंसर होने की आशंका बढ़ जाती है।

3. शराब से जिगर (यकृत) पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे जिगर कमज़ोर हो जाता है और सिकुड़ना शुरु कर देता है।

4. शराब के कारण कभी–कभी जिगर काम करना बन्द कर देता है, इस स्थिति में शराबी बेहोशी की हालत में ही मर जाता है। उसे जिगर का दिवालियापन कहते हैं।

5. शराब से चर्म (SKIN DIDRSDR) होता है।

6. शराब के सेवन से **DELIRUIUM, कंपकपी (TREMEN)** और **PLYNEURTIS** जैसी बीमारी होती है।

7. महिला द्वारा शराब के सेवन से उनके **OVUM** और अंडाशय को नुकसान पहुँचता है।

शेष पृष्ठ.....24 पर

इस्लाम में ख़त्ना

इदारा

हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पाँच बातों को ख़साइले फितरत (प्राकृतिक गुण) में शुमार किया है, उनमें से एक खत्ना भी है। (मुस्लिम 128/1)

ख़त्ने से जिस्म की नजाफत और सफाई–सुथराई में मदद मिलती है, इस से लिंग के कैन्सर से हिफाजत होती है और एड्स की बीमारी से बचाव में भी उसको मुफीद माना गया है, सेहत के लिए भी मुफीद है, जिन्सी लिहाज से लज़्जत भी है। फिर भी रिवायात में खत्ने की बाबत ज़्यादा तफ्सीलात मन्कूल नहीं है। फुकहा और शारिहीने हदीस ने इस पर रौशनी डाली है। तौरात की तालीम से मालूम होता है कि बनी इस्राईल में खत्ना हुआ करता था। ईसाइयत में जब तहरीफात (फेर बदल) ने जगह पाई तो अलावा और अह्काम के खत्ना भी मन्सूख (निरस्त) ठहरा। अरबों में हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के नस्ली तअल्लुक और दीने इब्राहीमी पर अमल की वजह से खत्ना हुआ करता था। इस्लाम ने न सिर्फ इसका हुक्म बाकी रखा बल्कि उसको फितरते इन्सानी का तकाजा करार दिया। उस ज़माने की अकसर मुशरिक कौमें खत्ना नहीं कराती थीं और अब भी यहूदियों और मुसलमानों के सिवा कोई कौम खत्ना नहीं कराती। इसलिए फुकहा ने इसको मुसलमानों के शिआर (पहचान) का दर्जा दिया है और लिखा है कि किसी शहर के लोग खत्ना न कराने पर इत्तिफाक कर लें तो इमामे इस्लाम उनसे जंग करेगा। (यह वहां है जहां इस्लामी हुकूमत हो)

अंबिया–ए–किराम और ख़त्ना–

हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पहले अंबिया ने खत्ना कराया या वह मख़तून ही पैदा हुए? इस सिलसिले में अहले इल्म की राय मुख़्तलिफ है, एक राय यह है कि तमाम अंबिया मखतून पैदा हुए थे।

(मिरकात 284/8)

दूसरे अहले इल्म ने तमाम अंबिया के मखतून पैदा होने को कबूल नहीं किया है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम–

मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मखतून पैदा हुए थे, लेकिन इस सिलसिले में सहीह रिवायत नही मिलती, इब्नि जौज़ी अपनी किताब में लिखते हैं, अनुवादः "इस सिलसिले में जो हदीस मरवी है वह सही नहीं है" (जादुल मआद 530/1)। अल्लामा शामी के रुझान से भी यही मालूम होता है कि आप मखतून पैदा हुए थे। उन्होंने बाज हुफ्फाज़े हदीस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मख़तून पैदा होने की बात नकल की है।

(रद्दुल मुहतार 530/5)

अगर आप मखतून पैदा नहीं हुए तो फिर आप का खत्ना कब हुआ? इस सिलसिले में दो रिवायतें हैं, एक यह कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आप की पैदाइश के सातवें दिन आप का खत्ना कराया, उसी दिन मुहम्मद से मौसूम किया और दावत का एहतिमाम भी किया। यह हज़रत अब्दुल्लाह इब्नि अब्बास रज़ि0 की रिवायत है। (जादुलमआद 108/1) लेकिन जादुल मआद के मुहक्किक डॉ0 शुऐब अरनूत ने इस रिवायत के बाज रावियों पर कलाम किया है। (जादुलमआद 18/1) दूसरा कौल यह है कि हज़रत हलीमा सादिया के यहां जब शरहे सद्र का वाकिआ पेश आया और हज़रत जिब्रील अ0 ने सीन-ए-मुबारक को चाक किया, उसी वक्त उन्होंने खत्ना भी कर दिया। (जादुल मआद 81/1) हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पैदाइश को अगर गैर मखतून माना भी जाए तो आप की शख्सियत और अजमत पर कोई हर्फ नहीं आता। क्योंकि बहुत से अंबिया और खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गैर मखतून पैदा हुए और उसके बरखिलाफ अभी भी बाज वाकिआत बच्चों के मखतून पैदा होने के पेश आते रहते हैं।

ख़त्ना का तरीका और उम्र–

मर्दों के खत्ने का तरीक़ा यह है कि हशफ़ा के ऊपर का चमड़ा काट दिया जाए। शवाफे के यहाँ तो यह चमड़ा पूरा कट जाना चाहिए, अहनाफ के यहां इसका अकसर हिस्स कट जाए तो यह भी काफी है।

जो बच्चा पैदाइशी तौर पर मखतून हो तो उसका खत्ना न किया जाए।

इमामे नववी ने लिखा है कि पैदाइश के सातवें दिन खत्ना कर देना मुस्तहब है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने भी हसन रज़ि0 और हुसैन रज़ि0 का खत्ना सातवें दिन कराया था। (दुर्रे मन्सूर 114/1) हज़रत इस्हाक़ अ0 का खत्ना 13 साल की उम्र में होना नकल किया गया है।

(जादुल मआद 35/2)

बाज़ फुकहा का ख़्याल है कि वसाल की उम्र या उससे कुछ कम व बेश में खत्ना करा दिया जाए। शमसुलइअम्मा हलवाई के मुताबिक जिस उम्र में खत्ना बर्दाश्त कर सके। इमाम अबू हनीफा ने इस सिलसिले में कोई खास मुद्दत मुकर्रर नहीं की है। (खुलासतुल फतावा 340/4) और यही सही है। मौलूद (बच्चा) की सेहत और कुव्वते बर्दाश्त का लिहाज करके जल्द से जल्द खत्ना कर देना चाहिए, मुअमर (ज़्यादा उम्रवाला) शख़्स की कुव्वते बर्दाश्त पर है अगर बर्दाश्त कर सकता है तो खत्ना कराया जाए।

(हिन्दिया 353/5)

अगर डॉक्टर की राय है कि खत्ना मुनासिब नहीं है तो छोड़ दिया जाए कि एक उम्र की बिना पर तर्के सुन्नत है।

औरतों का ख़त्ना–

औरतों के खत्ने का तरीक़ा यह है कि शर्मगाह

के ऊपरी हिस्से में उभरे हुए चमड़े का कुछ हिस्सा काट दिया जाए।

(खुलासतुल फतावा 34/4)

ख़त्ने का हुक्म–

ख़त्ना इमाम शाफई और कुछ दूसरे फुक़हा (शरीअत के विद्वानों) के नजदीक वाजिब है। मालिकिया के यहां सुन्नत है, यही राय हनफिया की है। अलबत्ता चूँकि खत्ने की हैसियत शिआरे दीन (दीन की पहचान) की है, इसलिए वाजिब न होने के बावजूद उसकी खुसूसियत (विशेषता) है, इसलिए फुकहा ने खत्ना के लिए बेसत्री (छुपने वाले अंग को दूसरे के सामने खोलने) की भी इजाजत दी है। (खुलासतुल फतावा 241/7)।

इमाम शाफई के यहां तो औरतों का खत्ना भी वाजिब है, हनफिया के यहां औरतों के खत्ने के लिए एक कौल सुन्नत होने का है और एक कौल सिर्फ अफजल होने का, जिसको फुकहा ने "मुकरमा" (अच्छे काम) से ताबीर किया है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है, अनुवाद– "खत्ना मर्दों के लिए सुन्नत और औरतों के लिए अच्छी बात है" मगर इस जमाने में हिन्दुस्तान और अक्सर मुल्कों में औरतों का ख़त्ना मतलूक (छोड़ा हुआ) है।

ख़त्ने की दावत–

खैरुल कुरून में खत्ना के मौके पर दावत का कोई रवाज नहीं था। हज़रत उस्मान रज़ि0 से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में न खत्ने में हमें दावत दी जाती थी और न ही हम खत्ने की दावत में जाया करते थे, इसलिए यह दावत मुबाह कही जा सकती है। इमाम अहमद रह0 के बारे में मन्कूल है कि उनको इस सिलसिले में दावत दी गई तो कबूल किया और तनावल फरमाया, यह दावत सिर्फ मुबाह दावत है लिहाजा मुसलमानों की आम दावत की तरह उसका कबूल करना उस वक्त है जब कि दावत में कोई ख़िलाफे शरअ बात न हो और उसे लाजिमी रवाज का दर्जा न दे दिया जाए। दावत कबूल करना मुस्तहब है।

गैर मख़तून के अहकाम–

अगर कोई शख़्स गैर मख़तून था और उसी हाल में बुलूग की उम्र को पहुंच गया और उसका खत्ना करने में शदीद जरर (नुकसान) का खतरा न हो तो हाकिमे वक्त (इस्लामी हुकूमत में) उसे ख़त्ने पर मजबूर कर सकता है।

(रद्दुल मुहतार 531/5)

गैर मखतून शख़्स की वफात हो जाए तो उसका खत्ना नहीं कराया जाएगा। यही राय हनफिया, मालिकिया शवाफे और अकसर हनाबिला की है (अलमुगुनी 405/2)

ज़बीहा के हलाल होने का तअल्लुक मुसलमान होने से है न कि मखतून होने से इसलिए, गैर मख़ातून का ज़बीहा भी हलाल है यही हनफिया और जमहूर का मसलक है। ❑❑

इस्लाम और फ़ैशन

—मुफ्ती मुहम्मद कमालुद्दीन राशदी

—प्रस्तुतिः हाशमा अन्सारी

प्यारी बहनो! फैशन की जिस राह पर आप चल रही हैं, वह मुसलमान खातून के लिए ज़ेब नहीं देता। मुसलमान खातून को चाहिए कि ज़ेब व ज़ीनत के वह तरीके अपनाये जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक हो, और अल्लाह तआला और उसके रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को राज़ी करने वाला हो।

इसलिए खातून के लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़ेब व ज़ीनत के कौन से तरीके शरीअत के खिलाफ हैं और कौन से तरीके शरीअत के मुताबिक हैं, ताकि वह खिलाफे शरा कामों से बचे और शरई हदों में रहते हुए अपना फितरी अमल बनाव–श्रृंगार भी कर सके।

नीचे इन्हीं तरीकों को ज़रा तफ़सील के साथ ज़िक्र किया जाता है, इन को गौर से पढ़ें और उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, उसी में आपकी दीन व दुनिया दोनों जहान की बेहतरी और कामयाबी है।

फैशन की हद (सीमा)–

ख़ातून को ज़ेब व ज़ीनत से सम्बिन्धित तीन बातें बुनियादी तौर पर ज़हन में रखनी चाहिए–

1. जिन कामों की शरीअत में कतई तौर पर मनाही है उन्हें करना किसी सूरत में भी औरत के लिए जायज़ नहीं, चाहे शौहर या कोई और उनको करने के लिए कहे या न करने की सूरत में वह उससे नाराज़ हो जाये। क्योंकि हदीस शरीफ में आया है कि मख़्लूक़ की इताअत जायज़ नहीं।

2. जो काम शरई हदों में है और जायज़ के दर्जे में है उनमें हस्बे वुसअत शौहर की मुकम्मल इताअत करना औरत के ज़िम्मे है।

हदीस में आया है कि "अगर मैं किसी को किसी के लिए सज्दा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वह अपने शौहर के लिए सज्दा करे"।

दूसरी हदीस में इरशाद है कि "अगर कोई आदमी अपनी बीवी को हुक्म दे कि सुर्ख (लाल) पहाड़ से पत्थर उठा कर काले पहाड़ और काले पहाड़ से पत्थर उठा कर सुर्ख पहाड़ पर ले जाये तो उसे यही करना चाहिए"।

3. औरत शरई सीमाओं में रहकर जो कुछ बनाव–श्रृंगार करे उस का मक़सद शौहर को खुश करना हो न कि दूसरी औरतों और नामहरम मर्दों को दिखाना और इतराना। अगर शौहर को खुश करने के लिए बनाव–श्रृंगार करेगी तो इन्शाअल्लाह उस पर उसको सवाब भी मिलेगा, चाहे दूसरी औरतें उसे देख कर खुश हों या नाराज़।

अधिक बनाव–श्रृंगार शरअन पसन्दीदा नहीं–

याद रखें! ज़्यादा बने

ठन कर रहना शरीअत में पसन्द नहीं है। शौहर वाली औरत ज़रूर श्रृंगार कर ले यह ठीक है, लेकिन बनाव–श्रृंगार को एक आदत बना लेना और तरह–तरह के तरीके उसके लिए सोचना और उसके लिए भिन्न–भिन्न प्रकार की चीजें खरीदना और ज़हन को हर वक्त उसमें उलझा कर रखना मोमिन के मिज़ाज के खिलाफ़ है। जिनको नेक आमाल और अच्छे व्यवहार के साथ रहना हो उनके पास इतनी फुर्सत कहां कि बनावट और गैर ज़रूरी सजावट में वक्त और पैसा बरबाद करे। ❑❑

शअ़बानुल मुअज़्ज़म.....

कोई हदीस नहीं जिस पर एतिमाद किया जाए, न उसकी फज़ीलत के बारे में और न उस रात में उनमें लिखी जाने की बाबत, लिहाजा इस जानिब तवज्जुह न करो, खुद कुरतुबी भी इसी जानिब रुझान रखते हैं।

मगर चूंकि फजाइल में ज़ईफ रिवायात भी मुफीद समझी गई हैं, इसलिए बाज फुकहा हनफिया ने इस रिवायात को काबिले अमल समझा है। एक आलिम ने इस रात गुस्ल को मुस्तहब करार दिया है और लिखा है कि शबे बराअत यानी पन्द्रहवें शाबान की रात में गुस्ल करना मुस्तहब है, ताकि रात जागी जाए इस रात की अजमत की वजह से, इसलिए कि रात में रिज़्क तक्सीम किया जाता है और उम्रें मुकर्रर होती हैं।

फिर भी आम तौर पर तहकीक करने से इब्नि नजीम रह0 और शामी कासानी वगैरह ने सराहत के साथ पन्द्रहवीं शाबान का रोज़ा और उस रात में इबादत के खुसूसी एहतिमाम का ज़िक्र नहीं किया है। इससे अन्दाजा होता है कि उनके यहाँ इसका कुछ खास एहतिमाम नहीं था, हसबी रह0 जो अहकाम वजुजयात के अहाता और उनपर नक्द वजह के मुआमले में मक़ाम के मालिक हैं, वह भी इस रात और दिन की फजीलत पर खामोश हैं और नक़्ल करते हैं कि इस बाबत रिवायत मन गढंत है। (निस्फ शाबान की रात की हदीस गढ़ी हुई है)।

इस ज़माने के लोगों में इस रात की बाबत शबे कद्र जैसा एहतिमाम पैदा हो गया है, हालांकि जईफ रिवायात पर फजाइल से भी अमल के लिए मुहद्देसीन ने कुछ शर्तें लगाई हैं, उनमें से यह भी है कि आदमी उन पर यकीन न करे और उनको शरीअत न समझ बैठे और उन जईफ रिवायतों को उनके लिए सुबूत न समझ बैठे, आमतौर पर ऐसी कई रिवायात जब उलमा के दायरे से निकल कर अवाम तक पहुँचती है तो उस शर्त पर काइम रहने का बहुत कम इम्कान बाकी रह जाता है, इसीलिए लोगों को नसीहत व हिकमत के साथ जेहन नशीन करना चाहिए कि इस बारे में गुलू से काम न लें, अलबत्ता अगर कुछ लोग रोज़ा रखें या रात में इबादत का खुसूसी एहतिमाम करें तो उनको रोकने में भी ज़्यादा सख्ती से काम न लें कि उसका सुबूत (कमज़ोर सही) मौजूद है। बाज़ सलफ भी उसके काइल थे, वल्लाहु आ़लम!

❖❖❖

मदरसों के छात्रों से कुछ बातें

—मौलाना सैय्यद अब्दुल्लाह हसनी नदवी —अनु0 नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

अपनी दौलत की क़द्र कीजिए-

यदि आप उनकी नक़्क़ाली कर रहे हैं, आप अपने को कम समझ रहे हैं कि हमारे पास दौलत कम है, उनके पास ज़्यादा है, हालांकि मामला उल्टा है, आपके पास अधिक है उनके पास कम है, लेकिन अपनी दौलत पुड़िया के अन्दर है और पुड़िया बन्द है, उसको खोलिए तो ये आपका मोती दस करोड़ का और उनकी सारी दुकान जो मोतियों से भरी पड़ी है, वह बिक जाएगी पाँच हज़ार में। तो कहां एक करोड़ और कहां पाँच हज़ार। कोई जोड़ है? लेकिन ये उसी समय होगा जब आप शुक्र अदा करना शुरू करें अन्यथा आप मोती को पहचान ही नहीं पाएंगे।

ये दौलत विरासत में मिल गई, इसलिए आप कद्र पहचानते नहीं। और आप कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम तालिब इल्म अर्थात आलिम बनने जा रहे हैं, आपके बाप–दादा आलिम थे तो आप उनके कारण आप यहां आ गए। और आप ये नहीं जानते कि आपको कितनी बड़ी दौलत मिल गई। ये टाइटल जो आपके बाप दादा से मिला, परदादा से मिला, उसको पहचानते नहीं। पत्थर कितना कीमती है लेकिन हर आदमी नहीं पहचानता। एक आदमी जो पत्थर का काम कर रहे हैं, बताने लगे कि मौलाना! बड़ा धोखा होता है, हम लोग पत्थर ले आते हैं, कुछ बड़े कीमती होते हैं तो कुछ कम कीमती। एक पत्थर दस रूपये का है और एक दस हज़ार का। जो लोग नहीं पहचानते हैं वह धोखा खा जाते हैं। जब लोग पत्थर खरीदने आते हैं तो हम लोग दस वाले को मिलाकर पचास हज़ार का बेच देते हैं, उनको पता ही नहीं है, वह जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, तो पहचानना ज़रूरी है। और उसको बादशाह पहचानता है या जौहरी देखते ही पहचान लेता है कि कितना बहुमूल्य पत्थर है। ये तो ऐसे ही है कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ने आपको कमाल की दौलत अता की है। सुन्नत की दौलत दी है, कुर्आन की दौलत दी है, इल्म की दौलत दी है, अरबी भाषा का ज्ञान दिया है और हम प्रत्यक्ष रूप से इसे पढ़ रहे हैं। ये सामान्य बात नहीं है। अल्लाह ने जिसे उतारा अरबी भाषा में, उसको हम आप प्रत्यक्ष रूप से समझ रहे हैं, ये मामूली दौलत नहीं है। उस पर सारी दौलतें कुर्बान हो जाएं, लेकिन जब समझेंगे तब उसकी कद्र करेंगे। नहीं समझा तो ये जो हमारे फारेगीन (मदरसों से शिक्षा पूर्ण करने वाले शिक्षार्थी) इधर–उधर चले जाते हैं, ये

उसका परिणाम है कि उन्होंने जाना ही नहीं कि उनके पास है क्या? आपकी गुदड़ी में क्या है? कैसी मणि है। आपने जाना ही नहीं, आपने समझा कि हम गुदड़ी पोश हैं, गुदड़ी, गुदड़ी है बस, तो उन्होंने कहा, जल्दी उसको उतार फेंक दो और चले जाओ। आपने तो निकाल फेंक दिया जबकि उस गुदड़ी में ही था सारा मामला। गुदड़ी की मणि अन्दर थी, जिसने गुदड़ी पा लिया उसने मणि निकाला, बाज़ार में बेचा और करोड़पति बन गया। और आप लगे मारे–मारे फिरने। और उसी समय आपने उससे जिसके पास गुदड़ी की मणि पहुंच गई थी उससे कहा कि मियाँ! ये रकम कहां से आई कि आप इतने बड़े धनी हो गये? तो उसन कहा, तुमने जो गुदड़ी फेंक दी थी ये उसी की मणि हैं अब बेचारे हाथ मल रहे हैं, आहें भर रहे हैं। तुमने तो फेंक दिया था, तो इस कारण स्थिति यह हुई कि हम वहां पहुंच गए और तुम यहां।

हमारे हज़रत मौलाना हकीम सैय्यद अब्दुल हयि हसनी रह0 ने "नुज़्हतुल ख़्वातिर" में एक किस्सा लिखा है कि एक साहब थे सैय्यद ज़ादे, सादात खानदान से थे, लेकिन आदतें बिगड़ गईं, शराब पीने लगे, गलत कामों में लग गए। एक बार पी कर धुत पड़े थे, इतने में देखा कि एक साहब बड़े शान से घोड़े पर चले आ रहे हैं, आगे–पीछे कारिन्दे लगे हुए हैं, लोग झुक–झुक कर आदाब बजा लाते हैं। अब सैय्यद साहब के दिमाग़ में आया कि मैं तो सैय्यद हूँ और यहां पड़ा हूँ। उन्होंने पुछवाया, पता चला कि उनके दादा के गुलाम का बेटा था, जो इस मुक़ाम पर पहुँच गया। उसे मालूम हुआ कि नशे में धुत सैय्यद साहब हमारे दादा के आक़ा के पोते हैं तो वह उतर कर अदब से खड़ा हो गया और सलाम किया। परिचय के उपरांत सैय्यद साहब ने कहा, अच्छा! तो तू फलां गुलाम का बेटा है, और इतने ऊँचे स्थान पर पहुँच गया है। इस पर गुलाम के बेटे ने क्या बात कही, कहा कि हुजूर! मैं आपसे क्या कहूँ? आपके दादा जो थे, मैंने उनका अनुसरण किया और जो मेरे अब्बा और दादा थे उनका अनुसरण आपने किया। तो मैं अब आपके दादा की जगह पहुंच गया हूँ और आप मेरे दादा की जगह पहुँच गए हैं। ये है गुदड़ी का मामला कि आपने उसको गुदड़ी समझा और गुदड़ी समझ कर चोला ही बदल दिया। जब चोला ही बदल दिया तो अंजाम क्या हुआ। मारे–मारे फिर रहे हैं। आप जाइये और हमारे फारेग़ीन का हाल देखिए, आज उनकी न अक्लें हैं न उनको समझ है कि उनको मालूम हो कि अल्लाह ने कैसे बड़ी दौलत दी थी। कोई पूछता ही नहीं कि कहाँ से आए और कहां गए। और जब देखते हैं कि फलां तो इतना ऊँचा हो गया तो ललचाई हुई आँखों से देखते हैं तो वह कहता हैं कि ये आप ही की तो गुदड़ी है जिसे आपने फेंक दिया, मैंने उसे उठा लिया और अन्दर मुझे मणि मिली।

❖❖❖

रमज़ान का महीना ख़ैर व बरकत का महीना और रूहानी तर्बियत का सालाना निज़ाम

—हज़रत मौलाना सैय्यद मुहम्मद राबे हसनी नदवी

रमजानुल मुबारक का महीना ख़ैर व बरकत का महीना है। ईमान व इबादत का महीना हैं। मुसलमान को मुसलमान बनकर और अपने आमाल को खुदा की खुशनूदी के मुताबिक ढालने की कोशिश का महीना है। दौलतमन्द को अपनी दौलतमन्दी के ज़रीअे खुदा को राज़ी व खुश करने का और गरीब को अपनी गरीबी के बावजूद नेक अमल करने का महीना है। यह महीना आता है तो फज़ा को पुरनूर बना देता है। अहले ईमान में मुसर्रत की लहर दौड़ा देता है। मुसलमानों की सुब्ह व शाम अजीब रौनक से पुर रौनक बना देता है। बड़ी उम्र के लोग खुलूस अमल के साथ नेकी पर कार बन्द होते हैं। छोटी उम्र के लोग इस माह की पुर लज़्जत इफ्तारी से सुरूर व लुत्फ हासिल करते हैं। उसकी क़ब्ले फज्र की सेहरियां और उसके गुरूबे शम्स की इफ्तारियाँ, उसकी रातों का ज़िक्र व इबादत, उसके दिनों की तिलावत, सब इस माह की रौनक को दोबाला बनाती हैं। फिर इन सब बातों पर हासिल होने वाला अज्र हर मोमिन के दिल को पुर सूरूर बनाता है, क्योंकि अल्लाह तआला की तरफ से इस पर मख़सूस अज्र देने का वादा है।

रमज़ान का रोजा दर हकीकत मुतनव्वे किस्म के आमाल का मजमूआ है। इस में मुसलमानों को अपने परवरदिगार की रज़ा की तलब में अपने नफ्स को मारना पड़ता है, इसमें आखिरत के अज्र के लिए अपने माल को खर्च करने का, अपने परवरदिगार की याद दिल में जगाने के लिए नमाज़ व तिलावत का खास मौका मिलता है। अपनी जबान को खूबी और नेकी का पाबन्द बनाने का माहौल मिलता है। अपने वक्त को सुधारने और पाकीज़ा काम के साथ वाबस्ता करने का दाइया मिलता है और नेक अमल की तौफीक़ होती है।

रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तआला के हुक्म से, शयातीन क़ैद कर दिये जाते हैं। शयातीन जिन का काम बस यह है कि वह इन्सानों को अच्छे कामों से बरगश्ता बनाएं और बुरे कामों के सब्ज़ बाग दिखाएं। इस माह में वह इस जालिमाना और गन्दे काम से रोक दिये जाते हैं, इसके नतीजों में नेकी करने वालों की नेकी करने में आसानी होती है और बुराई इख्तियार करने वालों को बुराई की तरफ माइल होने में इतना दाइया नहीं बाकी रहता, जितना गैर रमज़ान में होता है।

फिर हर इन्सान नफ्स व नफ्सानियत से भी मुरक्कब है। इन्सान का नफ्स लज़्जत

और राहत तलब होता है। उसमें तमअ (लालच) का माद्दा भी होता है और खुद गर्जी का जज़्बा भी होता है। जिन्दगी की बहुत सी बुराइयों को इख्तियार करने में इन्सान का नफ्स मुहर्रिक बनता है, इसमें शैतान की कोशिश पर ही इनहिसार नहीं। शैतान इसमें से सिर्फ बढ़ावा देता है और ताकत पहुंचाता है। और मज़ीद बड़ी बुराइयों की तरफ माइल करता है और उसमें मुआवनत करता है। रमजान में जो बुराइयां की जाती हैं वह इसलिए कम होती हैं कि वह सिर्फ नफ्स के असर से होती हैं उनको शैतान का सहारा नहीं मिलता।

लेकिन इन्सानी नफ्स बाज़ इन्सानों में और बाज कौमों पर इतना कवी और मोटा हो जाता है कि उसको अपने बुरे इक्दामात के लिए शैतान के सहारे की कोई खास ज़रूरत नहीं होती। यह नफ्स रमजान के महीने में भी अपना काम करता रहता है, लेकिन अल्लाह तआला ने रोजे में यह भी असर रखा है कि वह नफ्स को कमज़ोर कर दे और उसको उसके बुरे असरात से रोके और उसके असर को कम कर दे। क्योंकि दरहकीकत रोज़ा नफ्स के खराब असर को तोड़ने का अमल है। इन्सान का पेट जब खाली होता है और प्यास का एहसास होता है तो बुराइयों की तरफ उसका रुझान कमजोर पड़ जाता है। इन्सान में भरे पेट के साथ ग़लत कामों की तरफ जो मैलान होता है वह खाली पेट में और इन्सानी ख्वाहिश की अदमे तस्कीन के मौके पर नहीं होता। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसे शख्स को जिसको नफ्सानी ख्वाहिश ज़्यादा होती हो लेकिन उसके पास इजदवाजी ज़िन्दगी इख्तियार करने की माली ताकत न हो, रोजे रखने की तल्कीन फरमाई, ताकि वह अपनी ख्वाहिश पर गालिब आ सके और उसकी ख़ातिर गलत काम में मुब्तला न हो जाए। रोज़े की ताकत अल्लाह तआला ने ऐसी बनाई है कि वह नेकियों की राह बनाता है और गुनाहों की राह रोकता है। लेकिन रोज़े के असरात और उसकी नेक फज़ा उसी वक्त अपना अमल करती है जब रोज़े को उसकें आदाब और उसकी मुकर्रर एहतियातों के साथ रखा जाए और वह खुदा के लिए हो। अपने किसी माद्दी या खुद ग़रजाना मकसद के लिए न हो। रोज़े में जो बातें ममनूअ करार दी गई हैं उससे पूरा परहेज हो और रोज़े की फज़ा को काइम करने के लिए जो आमाल बताए गये हैं वह इख़्तियार किये जाएं।

रोज़ा यूं ज़ाहिर में फज्र के वक्त से गुरूबे आफताब के वक्त तक खाने, पीने और इजदिवाजी अमल से बचने का नाम है। लेकिन इसके साथ–साथ झूठ, गीबत और ज़बान व हाथ के दूसरे गुनाहों से पूरे परहेज का नाम भी है। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है कि किसी ने रोज़ा रखा और खाने से परहेज़ किया लेकिन गीबत, झूठ जैसे कामों से परहेज़ नहीं किया तो उसको क्या ज़रूरत थी कि वह भूखा–प्यासा रहे। इसका मतलब यह हुआ कि

ऐसे शख्स का रोज़ा बेकार गया। इसलिए बाज फुक़हा के यहाँ झूट बोलने और गीबत करने से भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन सब इमामों के नजदीक ऐसा नहीं है। वह कहते हैं कि रोज़े का ज़ाहिरी अमल तो अंजाम पा जाता है क्योंकि अस्ल शर्त पूरी हो गई लेकिन गुनाहों के सबब उसका सवाब जाता रहता है, क्योंकि उसके आदाब का ख्याल नहीं किया गया और गुनाह कर डाला। रोज़े को अल्लाह तआला ने नेकियों का मौसम बनाया है, इसमें जिस क़द्र नेकी करने की सूरतें बनती हैं, दूसरे इबादती अमल में मुश्किल से बनती हैं। इसमें तो एक खुद रोज़ा एक बड़ा अमल है, फिर उसमें नमाज़ें हैं, कुर्आन मजीद की तिलावत है, गरीबों की मदद है, और बिला क़ैद और हर वक्त खाने–पीने से रोक है और जुहद की कैफियात अपनाने का मौका है।

फिर बतौरे मज़ीद इसमें नेकी करने का सवाब सत्तर गुना कर दिया जाता है। गैर रमजान में की जाने वाली एक नेकी और रमज़ान में की जाने वाली एक नेकी के सवाब में एक और सत्तर का फर्क़ है।

फिर रमज़ान में रोज़े रखना चूंकि तमाम मुसलमानों पर बैकवक्त जरूरी किया गया है, इसलिए मुसलमानों के मुआशरे में इस पूरी मुद्दत में हर तरफ एक ही फ़जा बन जाती है और वह फज़ा नेकी की, हमदर्दी की, नर्म खूई की, आखिरत तलबी की, एहतियात और इबादत की फज़ा होती है।

इसलिए रमज़ान में उन लोगों को जिनको बीमारी या सफर की वजह से रोज़ा मुअख्खर करने की इजाजत दी गई है, उनको भी यह मना है कि वह सबके सामने खाएं–पिएं। उनको हुक्म है कि सबसे अलग जगह खाएं–पिएं ताकि रोज़े की फ़ज़ा मुतअस्सिर न हो।

रमज़ान दर अस्ल नफ्स को काबू करने और उसकी बुरी ताकत को कमज़ोर करने का एक सालाना तर्बियती निज़ाम है, इस निजाम से हर मुसलमान को साल में एक बार गुजरना पड़ता है। ज़रूरत है कि जिस तरह हम जिन्दगी की ज़रूरियात के लिए किसी भी तर्बियती कैम्प या तर्बियत गाह में वक्त तवज्जुह व अमल के साथ गुजारते हैं, रमजान के इस निजाम में भी उसके आदाब और अहकाम के मुताबिक वक्त गुजारा करें, ताकि हम उस सालाना तर्बियत गाह से पूरी तरह कामयाब होकर और सालेह और सच्चे मुसलमान बन कर निकला करें।

रोज़े के इफादियत और इन्दल्लाह उसकी अहमियत की यह बड़ी दलील है कि अल्लाह ने दूसरे आमाल के मुकाबले में उससे अपनी पसन्द ज़्यादा जाहिर की है। हदीस शरीफ में अल्लाह तआला का यह इरशाद बताया गया है कि हज़रत अबू हुरैरह रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया कि आदमी के हर अच्छे अमल का सवाब दस गुने से सात सौ गुने तक बढ़ा दिया जाता है, मगर अल्लाह तआला का

इरशाद है कि रोज़ा इस आम क़ानून से बालातर है, वह बन्दे की तरफ से खास मेरे लिए एक तोहफा है और मैं ही उसका अज्र व सवाब दूंगा। मेरा बन्दा मेरी रज़ा के वास्ते अपनी ख्वाहिशे नफ्स और अपना खाना–पीना छोड़ देता है, पस मैं खुद ही अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी इस कुर्बानी और नफ्स के कशी का सिला दूंगा।

अल्लाह तआला हम सबको रमज़ान और उसके रोज़ों की क़द्र की तौफीक़ दे। आमीन!

❑❑

कुर्आन की शिक्षा.....

पर सब्र करो और इबादत में डूबे रहो, और अल्लाह तुम्हारे कर्मों से अनभिज्ञ कदापि नहीं है। तुम्हारी कोई नेक बात बर्बाद नहीं हो सकती।

7. अर्थात यहूदी तो कहते हैं कि हमारे अलावा कोई जन्नत में न जाएगा और ईसाई कहते थे कि हमारे अलावा कोई जन्नत में न जाएगा।

❑❑

इस्लाम विरोधी प्रश्नों.....

8. शराबी पति–पत्नी के बच्चे मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, इसके अतिरिक्त उनके बच्चे मानसिक अथवा हृदयघाती दौरे के शिकार बन जाते हैं।

9. शराब से शराबी में आमतौर पर संक्रमण (INFECTION) की बीमारी फैल जाती है।

10. शराब से हार्ट अटैक जैसी बीमारी पैदा होती है।

11. शराब से स्मरण शक्ति (MEMORY) कमज़ोर होती है।

12. THROMOBICY TO PENIA और PLATELET से सम्बन्धित शिकायतें भी शराब की उपज हैं।

13. ALOPECIA, एक्ज़िमा और मुंह की सूजन आदि बीमारियाँ शराब की देन हैं।

उपर्युक्त बीमारियों के अतिरिक्त अनेक बीमारियां हैं जिन्हें अधिक्य के भय से बयान नहीं किया जा रहा है। इन सब बातें का सार यही है कि शराब हर प्रकार से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इसमें तनिक भी भलाई नहीं है।

सोशल ड्रिंकर- मध के रसिया अपने बारे में यह कह कर निकलने की जुगत में रहते हैं कि ऊर्जा और ठण्ड की मार से बचने के लिए यदि थोड़ी बहुत चढ़ा ली जाए, जो नशे में चूर न करे और होश ठिकाने रहने दे तो उसमें हर्ज क्या है:--

"हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है"-

आपत्ति तो तब है न जब व्यक्ति टुन हो जाए। लेकिन ऐसे लोग इस बात को पूरी तरह नज़र अन्दाज़ कर देते हैं कि ये एक दलदल है जो इसमें एक बार फंसा तो फिर बाहर निकलना बहुत ही कठिन है, बल्कि गर्त में डूबता चला जाएगा। अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि हरेक शराबी शुरु में सोशल ड्रिंकर होता है, लेकिन लत लग जाने पर अपने सारे नियम–कानून को धता बता देता है। इसी प्रकार उसके इस दावे में भी तनिक सच्चाई नहीं होती कि वह वर्षों शराब पीने के बावजूद कभी भी नहीं बहका।

अल्लाह उन सबको सद्बुद्धि दे जो शराब पीकर अपना दीन–धर्म, देश और समाज सभी को बर्बाद करते हैं। ❑❑

लैलतुल क़द्र

—प्रस्तुतिः फ़ौज़िया सिद्दीक़ा फ़ाज़िला

शबे क़द्र की बड़ी फ़ज़ीलत आई है। क़ुर्आन मजीद में इस रात का ख़ुसूसी तज़किरह ही उसकी फ़ज़ीलत और मरतबत के इज़हार के लिए काफ़ी है। क़द्र के माने शर्फ व मन्ज़िलत के हैं, इस तरह "लैलतुल क़द्र" के माने हुए "शर्फ व मन्ज़िलत वाली रात"। क़द्र के माने अन्दाज़ा और फैसले के भी आते हैं। ऐसी सूरत में लैलतुल क़द्र के माने "फैसले वाली रात" के होंगे। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि अल्लाह तआला इसी शब में तक़दीर की बाबत फ़ैसला फ़रमाते हैं, और लोगों की हयात व मौत दुख, सुख, सेहत व रिज़्क और ज़िन्दगी के तमाम मसाइल के बारे में मुतअय्यन करते हैं, इसीलिए इसे शबे क़द्र कहा जाता है। एक शुबह यह होता है कि बाज़ अहादीस में शाबान की पन्द्रहवीं शब को फ़ैसला व तक़दीर की शब क़रार दिया गया, मगर अव्वल तो वह रिवायत कलाम से खाली नहीं, दूसरे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि0) के क़ौल से दोनों रिवायत में इस तरह ततबीक दी जा सकती है कि फैसला तो शाबान की पन्द्रहवीं शब में होता है, लेकिन यह फ़ैसला शबे क़द्र में हवाले किया जाता है। जहां तक इस शब की क़द्र व मन्ज़िलत की बात है तो इसके लिये यही क़ाफी है कि इसी शब में क़ुर्आन मजीद का नुज़ूल हुआ, जिसको खुद अल्लाह तआला ने सूरह क़द्र में बयान किया है। शबे क़द्र में क़ुर्आन के नाज़िल होने का मतलब यह है कि शबे क़द्र में ही इसके नुज़ूल का आग़ाज़ हुआ। अलावा इसके बाज़ मुफ़स्सिरीन का ख्याल है कि इसी शब में पूरा क़ुर्आन मजीद लौहे महफ़ूज़ से आसमाने अव्वल पर नाज़िल फ़रमाया गया, और फिर आसमाने अव्वल से पैग़म्बरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर बतदरीज 23 साल में इसका नुज़ूल पाय—ए—तकमील को पहुंचा।

कौन सी रात?

अल्लाह तआला ने इस रात की अहमियत और अज़मत की वजह से इसे एक राज़ बना कर रखा है ताकि लोग एक ही शब पर तकया न करलें, और शबे क़द्र की तलाश व रग़बत में उनको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफ़ीक़ मयस्सर हो। रवाफ़िज का खयाल है कि शबे क़द्र उठा ली गई, लेकिन इसका गलत होना खुद क़ुर्आन और बकसरत नक़ल की जाने वाली अहादीस से वाजेह है। शबे क़द्र से कौन सी शब मुराद है? इस सिलसिले में हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह0) ने अड़तालीस अक़वाल नकल किये है, इसे तज़ाद और तआरुज़ न समझना चाहिये, क्योंकि यह बात मुत्तफ़क़ अलैह है कि यक़ीनी तौर पर शबे क़द्र की मुतअय्यन

तारीख मालूम नहीं, इसलिये यह अक़वाल अन्दाज़ा व तखमीन का दरजा रखते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा (रह0) का एक कौल यह भी है कि शबे क़द्र साल की किसी भी तारीख में हो सकती है। एक कौल रमज़ान की किसी भी तारीख़ का है, ताहम ज़्यादा तर अहले इल्म का ख़्याल है कि रमज़ानुल मुबारक के आख़िर अशरे की ताक रातों में शबे क़द्र वाक़ेअ होती है, और बदलती भी रहती है। हर साल एक ही शब में और एक ही तारीख़ में शबे क़द्र का होना ज़रूरी नहीं, फिर इन रातों में भी उलमा–ए–शवाफ़ेअ़ का ज़्यादा रुझान इक्कीस रमज़ानुल मुबारक की शब के बारे में है, लेकिन मज़ाहिबे अरबअ़ के अकसर फ़ुक़हा और दूसरे अहले इल्म का ज़्यादा रुझान रमज़ानुल मुबारक की सत्ताईसवीं शब की तरफ है। अल्लामा अैनी ने इमाम अबू यूसुफ (रह0) और इमाम मुहम्मद की तरफ़ भी इसी कौल को मनसूब किया है।

रमज़ान के आख़िरी अशरे में शबे क़द्र के इमकान पर बहुत सी रिवायतें मौजूद हैं। ख़ुद इमाम बुख़ारी (रह0) ने इस सिलसिले में हज़रत आइशा रज़ि0 और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि0) की रिवायतें नकल की हैं, सत्ताईसवीं शब की तरफ़ भी ज़्यादा रुझान इसीलिये है कि मुतअदद रिवायतें इस सिलसिले में मौजूद हैं। मुसनद अहमद अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से अबू दाउद में हज़रत मुआविया रज़ि0 से, और मुस्लिम, तिर्मिज़ी वग़ैरा में हज़रत उबइ बिन कअ़ब रज़ि0 से रिवायत मनकूल है कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सत्ताईसवीं शब में क़द्र को तलाश करने का हुक्म फ़रमाया।

रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी अशरे के अअ़माल–

शबे क़द्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का मामूल इबादतों के ज़्यादा एहतिमाम का था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ि0 से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया, जिसने शबे क़द्र में ईमान व इखलास के साथ नमाज़ पढ़ी उसके पिछले तमाम गुनाह मआ़फ़ हो जाएंगे। हज़रत आइशा रज़ि0 से मरवी है कि जब रमज़ान का आख़िरी अ़शरा शुरु होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ुद भी शबबेदारी फ़रमाते, नमाज़ का ख़ुसूसी एहतिमाम फ़रमाते, अपने अहले खाना को भी इस मक़सद के लिये बेदार करते और इबादत के लिये कमर कस हिम्मत लेते।

इस शब में दुआएं भी क़ुबूल की जाती हैं। हज़रत आइशा रज़ि0 से मरवी है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दरयाफ़्त किया कि अगर मैं शबे क़द्र को पहचान लूं तो क्या दुआ करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक मुख़्तसर और जामेअ़ दुआ सिखाई, जो इस तरह है– "अल्लाह हुम्मा इन्नका अ़फ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल, अ़फ़्वा फ़अ़फ़ु अ़न्नी"। ऐ अल्लाह! बे शक तू मुआ़फ़

करने वाला है, करीम है, और मुआफ़ करने को पसन्द करता है, मुझे मुआफ़ फ़रमा दे!!

दूसरी रातें-

शबे क़द्र की निसबत से रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी अशरे की तमाम रातों में बेदार रह कर इबादत करना तो मसनून है ही और इसके अलावा जिन रातों में फ़ुक़्हा ने शब बेदारी को मुस्तहब क़रार दिया है वह यह है: ज़िल हिज्जा के पहले अशरे की रातें, खासकर आठ, नौ और दस ज़िल हिज्जा की शब। ईदुल फित्र की शब। पन्द्रह शाबान की शब शबे जुमआ। पहली रजब की शब का भी ज़िक्र आया है।

खुसूसी रातों के अअ़माल-

जिन रातों में बेदारी का हुक्म दिया गया है, उनमें नमाज़ का एहतिमाम तो करना ही चाहिए। कुर्आन मजीद की तिलावत, कुर्आन का सुनना, तसबीहात, दुरूद शरीफ, यह सभी मुसतहब हैं। कोशिश करनी चाहिए कि रात का बड़ा हिस्सा बहैसियत मजमूई इन रातों में बेदारी और इबादत के एहतिमाम के लिए मसाजिद में जमा होना मकरूह और बाज़ फ़ुक़हा के क़ौल पर बिदअत है, इसलिए घरों में इनफ़िरादी तौर पर नमाज़, तिलावत, इस्तिग़फ़ार और दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। (क़ामुसुल फ़िक्ह)

❑❑

जगनायक.....

जाए, इस तरीके से हिजरत करके आने वाले और उनके मदनी शरीक कार एक दूसरे से जुड़ गये और गोया कि दोनों अस्ली निवासियों की तरह बल्कि भाई-भाई हो गए, जिसका प्रभाव आर्थिक सूरते हाल पर भी पड़ा। इस मुवाख़ात (भाईचारा) का यह एक फ़ायदा हुआ कि मुहाजिरीन व अन्सार के बीच रिश्ता जैसा संबंध क़ायम हो गया और उनसे पूरे शहर के लोगों की संयुक्त इस्लामी संस्कृति का निर्माण हुआ। दूसरी तरफ़ यहूदी आबादी इस समझौते द्वारा जो उनसे किया गया था उस सोसाएटी की हलीफ़ (शपथ पक्ष) हुई, और इस तरह उस शहर से इस्लामी जीवन-व्यवस्था और उसका अपने उद्देश्य के मुताबिक़ अमल इख़्तियार करने का पूरा माहौल बन गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इस्लाम का सामूहिक प्रबंध स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो गया, जो मक्के में वहां की दुश्मनी और सख़्त हालात और कुफ़्फ़ार के ग़लबे (प्रभुत्व) व अदावत (शत्रुता) की वजह से क़ायम नहीं किया जा सकता था। वहां सिर्फ इनफ़िरादी (व्यक्तिगत) स्तर ही पर अल्लाह के आदेशों पर अमल हो रहा था और उसके साथ दअवत का भी व्यक्तिगत स्तर पर काम अंजाम दिया जा रहा था और आख़िर में वह भी कठिनाईयों में घिर गया था, जिसकी वजह से मक्का मुनतक़िल (स्थानान्तरित) होने पर मजबूर होना पड़ा था, और कुरैश की तरफ से धर-पकड़ के कारण उनकी पकड़ से बचने के लिए एक चक्करदार रास्ते से मदीना मुनव्वरा सफ़र करना पड़ा था। ❑❑

रमज़ानुल मुबारक से मुतअ़ल्लिक मसाइल

—मुफ्ती जफर आलम नदवी

० हर दिन रोज़े की नीयत हर रोज़े के लिए ज़रूरी है। शुरु रमज़ान में तमाम रोज़ों की नीयत करने से नीयत सही न होगी, और बेनीयत रोज़ा न होगा।

(अलजौहरतुन्नीरा 136/1)

० नीयत के लिए ज़बान से अल्फाज कहना ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल से रोज़े की नीयत कर लेना काफी है, अलबत्ता ज़बान से भी नीयत के अल्फाज़ कह देना बेहतर है। अगर किसी ने सहरी खा कर रोज़ा रखा तो उसका रोज़ा दुरुस्त होगा, क्योंकि सहरी खाना रोज़े की नीयत के लिए काफी है। (फतावा हिन्दिया 110/1 में है, अनुवाद—रमजान में सहरी खाना रोज़े की नीयत है)।

० सूरज ढ़लने से पहले अगर रोज़े की नीयत कर ली तो रमजान का रोज़ा हो जाएगा, लेकिन अगर सूरज ढ़लने के बाद नीयत की तो रोज़ा नहीं होगा और रमज़ान के बाद उस दिन के रोज़े की कज़ा करनी होगी।

(रद्दुलमुहतार 277/2)

० सहरी खाना मुस्तहब और एक इबादत है, नीज़ इसमें बरकत भी है और सवाब भी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया, हमारे और अहले किताब के रोज़े में सहरी का फर्क है।

(मुस्लिम 350/1)

इन रिवायतों से मालूम हुआ कि सहरी खाने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई है और उसे सवाब व बरकत की चीज़ बताया है। सहरी न खाना सवाब व बरकत से महरूमी है और जान बूझ कर बराबर सहरी छोड़ने में यहूद व नसारा के रोज़े की मुशाबहत इख्तियार करना है। जिसकी वजह से गुनाह का अन्देशा है, लिहाज़ा सहरी बड़े एहतिमाम से खाना चाहिए।

० अगर रोज़े की हालत में सख्त गर्मी के सबब हलक सूखने लगे और ज़बान तालू से चिपकने लगे तो बार-बार कुल्ली की जाए तो इसमें कोई हरज न होगा, रोजा मकरूह न होगा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से सर पर पानी डालना और कपड़े भिगो कर बदन पर रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है।

मुअत्ता इमाम मालिक में रिवायत है कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुतअल्लिक फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को मकामे अरज में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम प्यास या गर्मी की वजह से अपने सर पर पानी डाल रहे थे, हालांकि आप रोज़े से थे। बुखारी शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 ने रोजे की हालत में कपड़ा तर किया और अपने जिस्म पर डाला।

आगे इमाम बुखारी ने हज़रत हसन बसरी का क़ौल नकल किया है कि रोज़ेदार के लिए कुल्ली करने और ठण्ड़क हासिल करने में कोई हरज नहीं है। (बुखारी 258/1)

याद रहे कि कुल्ली करने में अगर पानी हलक में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा और कज़ा लाजिम होगी, अलबत्ता कफ्फारा वाजिब न होगा।

(फतावा हिन्दिया 262/1)

० आँख में सुर्मा या दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। आँख में डाली हुई दवा या सुर्मे का रंग, मजा और असर हलक और थूक में जो महसूस होता है वह दर अस्ल मसामात के ज़रिए पहुँचता है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि मेरी आँख में तक्लीफ है, क्या मैं रोज़े की हालत में सुर्मा लगा सकता हूँ, आपने फरमाया, हाँ। (तिर्मिजी हदीस 726, बदाइयुस्नाअे 106/2)

० रोज़े की हालत में मिस्वाक करने में कोई हरज़ नहीं है, चाहे तर मिस्वाक हो या खुश्क, सुब्ह हो या शाम। हज़रत आमिर बिन रबीआ रज़ि0 फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को रोज़े की हालत में बेशुमार बार मिस्वाक करते देखा है। (बुखारी 254/1, तिर्मिजी 154/1)

इसीलिए इमाम अबू हनीफा रह0 के नज़दीक रोज़ेदार किसी भी वक्त चाहे सुब्ह हो या शाम मिस्वाक कर सकता है।

(फतावा हिन्दिया 194/1)

० किसी उज्र के बिना टूथपेस्ट या जायकेदार मन्जन के इस्तेमाल से रोज़ा नहीं टूटता लेकिन मकरूह हो जाता है, अल्लामा इब्निे नजीम मिस्री ने लिखा है कि किसी उज्र के बिना किसी चीज़ का चखना और चबाना मकरूह है। (बहरूर्राइक)

० अगर रोज़े की हालत में ग्लूकोज़ चढ़ाने की ज़रूरत हो तो वक्ते ज़रूरत इसकी इजाज़त है और इसमें रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता बिला उज्र महज ग़िजा और ताक़त के लिए ग्लूकोज़ चढ़ाना मकरूह है, मगर इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि यह सीधे मेअ़दे तक नहीं पहुंचता है, बल्कि रगों के ज़रिए जिस्म से पैवस्त हो जाता है। (फिक्ही फैसले, मुन्अकिद सेमिनार अप्रैल 2002 ई0)

० इन्हेलर के इस्तेमाल से रोज़ा टूट जाता है, इन्हेलर में जो दवा होती है वह हलक में दाखिल होकर सीधे मेअ़दे या फेफड़े में जाती है, उसमें दवा के बारीक जर्रात होते हैं जो नज़र नहीं आते हैं। जिस तरह धुआँ के अन्दर होते हैं। धुआँ के बारे में फुकहा ने लिखा है कि इससे रोज़ा टूट जाता है (जब कि धुआँ नाक या मुंह के ज़रिए अन्दर कस्दन पहुँचाया जाए, खुद से जो धुआँ नाक के जरिए अन्दर चला जाए उससे रोज़ा न टूटेगा। कोई आपके पास बीड़ी–सिगरेट या हुक्का पिये और धुआँ आपके अन्दर चला जाए तो रोज़ा न टूटेगा, लेकिन अगर आप खुद बीड़ी सिगरेट

या हुक्का पियेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। नाक वाले इन्हेलर से भी रोज़ा टूट जाता है।

० अगर रोज़ेदार कोई दवा सूंघे ले और उसका असर उसके हलक़ के अन्दर चला जाए तो उससे रोज़ा न टूटेगा, यह इत्र की तरह है इत्र सूँघने से रोज़ा नहीं टूटता है। अल्लामा कुहस्तानी रह0 लिखते हैं कि इत्र की खुशबू हलक में महसूस होने से रोज़ा नहीं टूटेगा।

(जामिउर्रमूज़ 154/1)

० भाँप लेने से रोज़ा टूट जाता है जैसा कि धुआँ खींचने और इन्हेलर के इस्तेमाल से टूटता है। हाँ अगर बिला इरादा भाँप मुंह के अन्दर चली जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। जैसा कि अगर रास्ता चलते धुआँ मुंह के अन्दर चला गया, उसने खुद नहीं खींचा तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है।

(मराकिल फलाहः 361)

० रोज़ेदार के मसूढ़ों से रिस्ता हुआ खून अगर बे ख्याली में हलक़ के अन्दर चला जाए और रोज़े दार ने उसे निगल लिया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा या खून निगला नहीं हो बल्कि हलक के अन्दर महसूस किया, फिर थूक दिया तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता इस सूरत में सिर्फ कज़ा लाजिम होगी कफ्फारा नहीं।

(फतावा काजी खाँ 208/1)

० रोज़े की हालत में गुस्ल करते वक्त अगर बिला इरादा पानी कान में चला जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा।

० रोज़े की हालत में अगर दाँत निकलवाने की ज़रूरत पड़ जाए तो निकलवाने में कोई हरज़ नहीं है, लेकिन अगर खून हलक़ के अन्दर चला जाए और वह थूक से ज़ाइद हो यानी थूक पर उसका रंग गालिब हो जैसा की इसका इम्कान रहता है तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन अगर शदीद मजबूरी न हो महज मामूली तक्लीफ हो तो इस सूरत में बहालते रोज़ा दांत निकलवाना मकरूह है।

० खून निकलवाने से रोज़ा नहीं टूटता है, नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रोज़े की हालत में पचहना लगवाया है, पचहना एक ऐसा तिब्बी अमल है जिसके ज़रिये जिस्म का खराब खून बाहर निकाला जाता था, लिहाज़ा बहालत रोज़ा खून निकलवा कर किसी मरीज़ को देने से कोई हरज़ नहीं है, लेकिन अगर यह अन्देशा हो कि खून निकलवाने से रोज़ा रखना दुश्वार होगा तो बिला किसी शदीद मजबूरी के खून निकलवाना मकरूह है, इसलिए कि इस से रोज़ा मुतअस्सिर होगा। (बुखारी हदीस नं0 194)

० किसी औरत के लिए कज़ा रोज़े से बचने और रमज़ान के पूरे रोज़ा हासिल करने के जज्बे से किसी दवा के ज़रिये माहवारी खून को रोकने की कोशिश करना गैर फितरी काम और ना मुनासिब हरकत है। इससे बचना चाहिए, फिर भी अगर कोई औरत अय्यामे खास शुरुअ होने से पहले ऐसी दवा का इस्तेमाल शुरुअ करदे और खून जारी न हो तो उसने जिन अय्याम में रोज़ा रखा है, वह रोज़े दुरुस्त हो जाएंगे

लेकिन अगर खून शुरुअ़ हो गया उसके बाद दवा खा कर खून को रोक लिया तो उस दिन से उतने दिनों तक वह अय्यामे खास ही में शुमार किए जायेंगे जितने दिनों की पहले से आदत रही है उन दिनों का रोज़ा नहीं होगा। और अगर कोई आदत न रही हो तो तीन दिनों तक खास अय्याम शुमार किये जाएंगे और उनकी कज़ा लाजिम होगी और उन दिनों का रोज़ा मोतबर न होगा।

(किताबुल फतावाः 231/1)

० ख्वातीन जो ज़ीनत के लिए होंठों पर सुर्खी लगाती हैं, अगर सुर्खी से होंठ तक पानी के पहुंचने में रुकावट न हो तो रोज़े की हालत में भी उसका लगाना जाइज़ है, क्योंकि होंठ जिस्म का बाहरी हिस्सा होता है। लेकिन अगर सुर्खी का मुंह में चले जाने का अन्देशा हो तो मकरूह है। (किताबुल फतावाः 393/3)

० जिस पर नमाज़ फर्ज़ है उस पर तरावीह की नमाज़ पढ़ना सुन्नते मुअक्किदा है, अलबत्ता जमाअत से पढ़ना सुन्नते मुअक्किदा अलल किफाया है, यानी अगर कुछ मस्जिदों में नमाज़े तरावीह जमाअत के साथ अदा कर लें और कुछ लोग घर पर तन्हा–तन्हा पढ़ लें तो सभी की सुन्नत अदा हो जाएगी, अलबत्ता घर के पढ़ने वाले जमाअ़त के सवाब और बरकत से महरूम होंगे।

० दिये गये फ़त्वे के मुताबिक हनफिया के यहाँ नाबालिग नमाज़ियों की इमामत नहीं कर सकता, क्योंकि नाबालिग़ की नमाज़ की हैसियत नफ्ल की होती है और बालिग जब नमाज़े तरावीह शुरुअ़ कर दे तो उनकी नमाज़ वाजिब हो जाती है, नफ़्ल पढ़ने वाले के पीछे वाजिब पढ़ने वाले की नमाज़ नहीं होती। मुसन्निफ अब्दुर्रज्जाक़ ने अब्दुल्लाह इब्नि अब्बास की यह रिवायत नकल की है कि बच्चा जब तक बालिग न हो जाए इमामत नहीं कर सकता है। (मुसन्निफ अब्दुर्रज्जाक़ः 329/2)

० ख़्वातीन के लिए तरावीह की नमाज़ उसी तरह सुन्नते मुअक्किदा है जिस तरह मर्दों के लिए, अलबत्ता औरतों के लिए जमाअत से तरावीह पढ़ना सुन्नते मुअक्किदा नहीं है, बल्कि उनके लिए घर में तन्हा–तन्हा तरावीह की नमाज़ पढ़ना बेहतर है।

(फतावा हिन्दिया 106/1)

० रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करना सुन्नते मुअक्किदा अलल किफाया है, यानी मुहल्ले के अगर किसी शख़्स ने भी एतिकाफ कर लिया तो मुहल्ले के तमाम लोगों के जिम्मे से एतिकाफ की सुन्नत अदा हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ने भी एतिकाफ नहीं किया तो पूरे मुहल्ले के लोग सुन्नत तर्क करने की वजह से गुनहगार होंगे। (हिदाया 224/1)

० अगर मस्जिद के अहाते में गुस्लख़ाना न हो तो मोतकिफ के लिए वाजिब गुस्ल या जुमे के गुस्ल के लिए मस्जिद से बाहर जाने की इजाज़त है, शैख अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि उसके लिए मोतकिफ बाहर निकल सकता है।

शेष पृष्ठ.....36 पर

आपके प्रश्नों के उत्तर ?

—मुफ्ती ज़फर आलम नदवी

प्रश्नः एक शख्स ने रिहायशी मकान के अलावा एक दूसरा मकान इस मकसद से खरीदा है कि उससे किराया हासिल किया जाए, उस मकान में एक स्कूल किराये पर चल रहा है, क्या इस मकान पर ज़कात वाजिब है? अगर ज़कात वाजिब है तो उसकी अदायगी किस तरह होगी?

उत्तरः मकान पर उस वक्त ज़कात वाजिब होती है जब मकान तिजारती मकसद से खरीदा गया हो, लेकिन अगर मकान जरूरत से ज़्यादा हो और तिजारती मकसद न हो बल्कि किराया पर लगाना या किसी और काम में इस्तेमाल करना हो उस पर ज़कात वाजिब नहीं।

(रद्दुलमुहतार 179/3)

प्रश्नः एक शख्स के पास कुछ बसें हैं जो किराये पर चलती हैं, सवाल यह है कि इन बसों की मालियत पर ज़कात वाजिब है या किराये पर?

उत्तरः बसों या उसकी मालियत पर जकात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि रोज़ी कमाने के जो आलात (साधन) हैं उन पर ज़कात वाजिब नहीं है, फुकहा (विद्वानों) से सराहत की है कि इसी तरह हिरफत और पेशे के आलात पर भी ज़कात नहीं है।

(रद्दुलमुहतार 183/3)

अलबत्ता बसों से जो किराया हासिल हो, अगर वह ज़कात के निसाब के बराबर हो और उस पर साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात वाजिब होगी।

(फतावा हिन्दिया 167/1)

प्रश्नः एक शख्स ने अपने घर के जेवरात रेहन (गिरवी) रख दिये हैं, दो साल गुजर चुके हैं, क्या उन जेवरात पर ज़कात वाजिब होगी या नहीं?

उत्तरः रेहन रखी हुई चीज़ों पर ज़कात नहीं है, क्योंकि ज़कात वाजिब होने के लिए जरूरी है कि माले ज़कात पूरी तरह मिल्कियत में हो, रेहन पर रखी चीजें पूरी तरह मिल्कियत में नहीं होती हैं। इसलिए उस पर जकात नहीं है। (फतावा हिन्दिया 167/1)

प्रश्नः जो रकम बैंक में फिक्स डिपॉजिट के तौर पर जमा हो, क्या उस पर जकात वाजिब होगी?

उत्तरः पहली बात तो यह कि फिक्स डिपॉजिट शरअन जाइज़ नहीं है, फिर भी अगर किसी ने रकम बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया है तो उस पर जकात वाजिब होगी, क्योंकि उसकी हैसियत अमानत की होती है और अमानत वाली रकम पर जकात वाजिब होती है।

(फतावा हिन्दिया 221/2)

प्रश्नः मालिक मकान व दुकान के पास ज़मानत के तौर पर जो रकम पेशगी जमा रहती क्या उस पर ज़कात वाजिब है या नहीं?

उत्तरः मालिक मकान या दुकान के पास जो रकम किरायेदार की रहती है, उसकी हैसियत रेहन की है

और रेहन पर जकात वाजिब नहीं है।

(फतहुल क़दीर 164/1)

प्रश्नः जो लोग अपने कम्प्यूटर, इन्टरनेट और टी वी वगैरह रखते हैं क्या उन आलात पर ज़कात वाजिब है?

उत्तरः कम्प्यूटर और दूसरे आलात अगर अपनी जरूरियात और इस्तेमाल के लिए हैं, तिजारत के लिए नहीं तो उस पर जकात वाजिब नहीं है।

जो कम्प्यूटर या इन्टरनेट वगैरह पैसा कमाने के लिए हैं उन पर भी जक़ात नहीं है।

प्रश्नः मैं गरीब आदमी हूँ, ईंट, गारे का काम की मज़दूरी या किसी के खेत में काम करने की मजदूरी करता हूँ, अगर मजदूरी न करूं तो बच्चों की रोटी का इन्तेजाम न हो सके, और रोज़ा रख कर यह काम कर नहीं सकता, ऐसे में मेरे लिए रमजान के रोज़ों का क्या हुक्म है?

उत्तरः हुक्म तो यही है कि रमजान के रोजे आप पर फर्ज़ हैं, न रखेंगे तो गुनहगार होंगे। आपको चाहिए कि और दिनों की मजदूरी से बचा कर रमजान के लिए महफूज़ करलें, अगर ऐसा नहीं कर सकते और रमजान में मजदूरी किये बिना काम नहीं चल सकता और मेहनत के साथ रोज़ा भी नहीं रख सकते तो मजबूरन रमज़ान के रोज़े जो छूटे हैं उनको कज़ा करने का एहतिमाम करें और फुरसत के दिनों में रोजे रख कर गिनती पूरी करलें, अगर इसमें कोताही की तो सख़्त गुनाह के मुरतकिब होंगे, अल्लाह आपकी मदद करे।

प्रश्नः मेरा एक बच्चा 8 वर्ष का और बच्ची 10 वर्ष की है, दोनों हम लोगों को रोज़ा रखता देख कर ज़िद करते हैं कि हम भी रोज़ा रखेंगे, तो ऐसी सूरत में हम को क्या करना चाहिए?

उत्तरः आप उन बच्चों को आखिरी वक्त में सहरी खिलाएं और रोज़ा रखने में अगर दिन में दुश्वारी हो तो जब चाहें रोज़ा तोड़वा दें, अगर पूरा कर सकें तो करने दें, और इस पर उनको शाबाशी दें, अगर वह इसके आदी हो जाएंगे तो इन्शा अल्लाह बालिग़ होने पर रोज़े न छोड़ेंगे। इस उम्र में उन पर रोज़ा फर्ज़ तो नहीं है, मगर रखें तो उनको सवाब मिलेगा और वालिदैन को भी।

प्रश्नः कान व नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा या नहीं?

उत्तरः कान व नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा।

प्रश्नः आमतौर से मर्द लोग रमज़ान में इफ्तार मस्जिद में करते हैं, सब अपनी–अपनी इफ्तारी लाते हैं और एक दस्तरखान पर बैठ कर इफ्तार करते हैं, कुछ लोग इफ्तारी में कटी हुई कच्ची प्याज काट कर लाते हैं, कुछ लोग मूली लाते हैं, क्या इसमें कोई कबाहत नहीं है?

उत्तरः मस्जिद में कच्ची प्याज या मूली ला कर खाना मकरूह है, न लाना चाहिए। लेकिन अगर कोई लाया है तो रमज़ान का लिहाज़ करते हुए उसे हिक्मत से समझाकर बताना चाहिए कि मस्जिद में न तो

कच्ची प्याज खा कर आना चाहिए न कच्ची प्याज मस्जिद में ला कर रखना चाहिए, ऐसी हिक्मत से समझाएं कि उसकी समझ में आ जाए और वह बात मान ले।

प्रश्नः रमज़ान में मस्जिद में इफ्तार करने में कोई खराबी तो नहीं है?

उत्तरः अगर मस्जिद से मिली हुई कोई जगह ऐसी हो जो मस्जिद नहीं उसमें इफ्तारी का नज़्म हो तो बेहतर है, वरना जिस तरह मोतकिफ के लिए मस्जिद में खाना–पीना जाइज़ है, रोज़ेदार के लिए भी जाइज़ है। हरमैन शरीफैन में भी इस पर अमल है और हमारे यहाँ भी सभी मस्जिदों मे इफ्तार आम बात है। वल्लाहु आलम।

प्रश्नः रमज़ान में इफ्तारी में मशगूलियत के सबब मगरिब की जमाअत में 10 मिनट की ताखीर करना कैसा है?

उत्तरः इफ्तारी के सबब मगरिब की अज़ान के 10 मिनट बाद मगरिब की जमाअत करने में कोई कबाहत नहीं। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में सहाबा मगरिब की अज़ान के बाद आम दिनों में दो–दो रकअ़त नमाज़ पढ़ लिया करते थे।

प्रश्नः कुछ लोग तरावीह की नमाज़ आठ रकअत पढ़ते हैं और कुछ लोग बीस रकअ़त पढ़ते हैं, कितनी रकअ़तें पढ़ना मुनासिब है?

उत्तरः जो आठ रकअ़तें तरावीह पढ़ते हैं उनको आठ रकअ़तों का सवाब मिलता है और रमज़ान में एक का सत्तर गुना बढ़ाने पर 560 रकअ़तों का सवाब पाएंगे, जो बीस रकअ़तें तरावीह में पढ़ते हैं उनको 20 रकअ़तों का सवाब मिलेगा और रमज़ान में सत्तर गुना बढ़ा कर 1400 रकअ़तों का सवाब पाएंगे। जो लोग आठ और बीस के सुन्नत के इख़्तिलाफ के बारे में बात करें तो अकसर उलमा 20 रकअ़त तरावीह की पढ़ते हैं, और हरमैन शरीफैन में 20 रकअतें तरावीह की पढ़ी जाती हैं। जो बीस पढ़ता है बीस पढ़े जो आठ पढ़ता है आठ पढ़े, एक दूसरे को बुरा न कहे और उम्मत में इत्तिहाद बाकी रखे।

प्रश्नः दुबई में कई हिन्दू मुसलमानों की देखा–देखी रमज़ान में हर रोज़ इफ्तार के वक्त अपना काम रोक कर इफ़्तार का एहतिमाम करते हैं, और अगर कोई मुसलमान आ जाता है तो उसे इफ्तार में शरीक करते हैं, और शिरकत पर इफ्तार कराते हैं, ऐसी सूरत में उन लोगों के साथ एक मुसलमान का इफ्तार में शरीक़ होना कैसा है?

उत्तरः गैर मुस्लिम अगर एक मुसलमान को इफ्तार कराता है तो मुसलमान रोज़े दार को शरीक होना चाहिए, इस इस अख़्लाक़ से गैर मुस्लिम मुतअस्सिर होगा हाँ! गैर मुस्लिम को इससे सवाब तो न मिलेगा लेकिन अल्लाह तआला इसके लिए उसको दुनिया में बदला देंगे। ❑❑

अनुरोध

लेखकों से अनुरोध करते हैं कि वह सरल भाषा में लिखें।

इदारा

आदर्श शासक

—नजमुस्साक़िब अब्बासी नदवी

विश्व प्रसिद्ध महान शासक हज़रत उमर रज़ि0 की प्रशासनिक कार्य शैली और न्याय प्रियता से कौन परिचित न होगा। चौदह सौ वर्ष बीतने के बावजूद भी उनकी लोक प्रियता में कमी नहीं आई, बल्कि अपने को कथित सेक्यूलरिज्म का अगुवा समझने वाला ब्रिटेन भी हज़रत उमर रज़ि0 की शासन व्यवस्था से इतना प्रभावित हुआ कि उसके यहां के बहुत से लोग हज़रत उमर रज़ि0 जैसा शासन इंग्लैंड में स्थापित करने की मांग करने लगे। खैर! आइये आपको हज़रत उमर रज़ि0 की न्याय प्रियता के एक और वाकिये से आपको रूबरू कराता हूँ।

एक बार हज़रत उमर रज़ि0 प्रशासनिक कार्यों हेतु अपने सरकारी दूत को रोम के शासक के पास भेजा। जाने से पूर्व हज़रत उमर रज़ि0 की पत्नी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ि0 के मन में विचार आया कि क्यों न रोम के शासक की पत्नी को कोई उपहार भेज दूँ। अतः उन्होंने उपहार में इत्र की दो–तीन शीशियां राजदूत के हवाले कर कहा कि इसे रोम के शासक की पत्नी को दे देना।

राजदूत जब रोम पहुंचा तो उसने रोम के शासक को इत्र की शीशियां भेंट की, और कहा, इसे अपनी पत्नी को दे दीजियेगा, इसे हमारे सम्राट की पत्नी ने उपहार में भेजा है।

सरकारी कार्यों को निबटा कर हज़रत उमर रज़ि0 का राजदूत स्वदेश लौटने लगा तो रोम के शासक की पत्नी ने इत्र के बदले कुछ बहुमूल्य रत्न दिये कि इसे अरब सम्राट की पत्नी को दे देना। अतः मदीना पहुंच कर राजदूत ने उस रत्न को हज़रत उमर रज़ि0 के सम्मुख रख कर कहा कि इसको अपनी पत्नी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ि0 को दे दीजिए। हज़रत उमर रज़ि0 उस रत्न को देख कर चौंके और कहा, ये क्या है? राजदूत ने पूरा विवरण कह सुनाया। पूरी बात सुनकर हज़रत उमर रज़ि0 को दुख हुआ और तुरन्त एक विराट सभा को आयोजित करने का आदेश दिया।

विराट सभा आयोजित की गई तो हज़रत उमर रज़ि0 ने पूरा किस्सा सुनाकर लोगों से पूछा कि आप लोगों की इस विषय में क्या राय है? लोगों ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, आपकी पत्नी ने उपहार भेजा था, उसके बदले में रोम के शासक की पत्नी ने उपहार दिया, इसमें पूछने की कोई ज़रूरत न थी।

हज़रत उमर रज़ि0 ने गम्भीर मुद्रा में कहा, "नहीं आप लोगों की राय बिल्कुल सही नहीं है। रोम की महारानी का मेरी पत्नी से कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं है, वह उन्हें इस्लामी शासक की धर्म पत्नी के कारण

जानती है, इसी कारण उसके मन में मेरी पत्नी के प्रति सम्मान है, जो बहुमूल्य उपहार भेजे हैं वह उसी सम्मान का परिणाम है। मुसलमानों की सफ़लता, वीरता, शौर्य और पराक्रम ने अमीरुल मुमेनीन (इस्लामी शासक) और उनकी पत्नी को रोम के शासक तथा रोमी शासक की पत्नी की नज़र में प्रतिष्ठित और सम्मानित किया है, इसलिए वास्तव में ये उपहार मेरी पत्नी के लिए नहीं आया है बल्कि अमीरुल मुमेनीन (इस्लामी शासक हज़रत उमर रज़ि0) के लिए आया है और इस्लामी शासक का सम्मान मुसलमानों के कारण है, ये बहुमूल्य उपहार समस्त मुसलमानों की सम्पत्ति है, और ये भी सोचने वाली बात है कि राजदूत सरकारी कार्य हेतु गया था, जिसकी यात्रा का खर्चा–बर्चा राजकोष से दिया गया, इसलिए इस उपहार को राजकोष में जमा कर दिया जाए और मेरी पत्नी अर्थात उम्मे कुलसूम को उस इत्र की शीशी का दाम चुका दिया जाए''।

आज के परिवेश में ये घटना एक कल्पना सी लगती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारे शासकों को ऐसा ही होना चाहिए, यदि विश्व के समस्त शासक इस्लामी शासन का अनुसरण करने लगें तो आज जो शैतानी रूप में भ्रष्टाचार दहाड़ रहा है उसको एक दम से खत्म किया जा सकता है।

❖❖❖

रमज़ानुल मुबारक से .....

o औरतें भी एतिकाफ कर सकती हैं मगर उसके लिए यह हिदायत है।

1– शौहर की तरफ से इजाजत ज़रूरी है।

2– एतिकाफ मस्जिद में नहीं बल्कि घर के किसी ऐसे गोशे में हो जो नमाज़ के लिए खास हो।

(फतावा हिन्दिया 211/1)

o वह आकिल, बालिग मुसलमान जो ईदुल फित्र के दिन अपनी बुनियादी ज़रूरियात के अलावा साढ़े बावन तोला (612 ग्राम) चाँदी या उसकी कीमत का मालिक हो, उस पर सदक़–ए–फित्र अपने बीवी और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से अदा करना वाजिब है।

(फतावा हिन्दिया 191/1)

o बीवी अगर साहिबे निसाब हो तो उस पर खुद सदक़–ए–फित्र वाजिब है, उसकी अदाएगी शौहर के जिम्मे नहीं है। लेकिन अगर शौहर बीवी की तरफ से सदक–ए–फित्र अदा कर दे तो बीवी को न देना पड़ेगा।

(अलमुग़नी 59,60/2)

o अहनाफ के यहाँ सदक़–ए–फित्र की मिक्दार आधा साअ़ गेहूँ है, मुफ्ती मुहम्मद शफी रह0 की तहकीक के मुताबिक 136 तोला 6 माशा हुआ, तो जदीद वज़न में एक किलो 590 ग्राम के बकद्र है, इतनी मिक्दार गेहूँ या उसकी कीमत निकाली जाएगी।

(जवाहिरूल फिक्ह 428/1)

o सदक–ए–फित्र रमज़ान ही में अदा कर देना बेहतर है, लेकिन अगर कोई रमज़ान में अदा न कर सके तो ईद के दिन या उसके बाद अदा कर दे।

(बदाइयुस्नाअे 111/2)

❑❑

आम आदत और ख़र्के आदत (स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक)

—इदारा

पानी ढ़ाल की तरफ बहता है। पानी से आग बुझ जाती है, आग जला देती है, छुरी काट देती है। सांप के ज़हर से आदमी मर जाता है, बिच्छू के ज़हर से बहुत दर्द होता है, यह सारी बातें आदत के मुताबिक़ हैं। इनकी यही फितरत है, इनका यही स्वभाव है। पानी बिना किसी प्रेशर के ऊँचाई की तरफ बहे, आग न जलाए, छुरी न काटे, सांप का विष किसी जीवधारी पर असर न करे, बिच्छू का ज़हर असर न करे तो इन सब बातों को खर्के आदत (अस्वाभाविक) कहेंगे। सवाल यह है कि क्या खर्के आदत बातों का होना मुमकिन है? सम्भव है? अक़्ल यही कहती है कि खर्के आदत का होना मुमकिन नहीं। चुनांचि कोई साइंस वाला जो अल्लाह व रसूल पर ईमान नहीं रखता, खर्क़े आदत बात को मानने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह कुछ और फिरके जैसे मुअ़तज़ला वह भी खर्के आदत बात मानने को तैयार नहीं, दहरिये भी ख़र्के आदत बात को मानने को तैयार नहीं।

यह सच है कि आज ख़र्के आदत बातों का जहूर मौजूद नहीं है, जिसका बड़ा सबब नुबूवत का मौजूद न होना है, वरना कुर्आन मजीद खर्के आदत बातों के जिक्र से अटा पड़ा है।

अल्लाह के नबियों और रसूलों को झुठलाने वाली कौमों पर जितने आसमानी अजाब आये, कभी सख़्त अवाज़ आई, कभी सख़्त आंधी आई, कभी पूरा इलाक़ा डूब गया, यह सब खर्के आदत ही था। सौ वर्षों के पश्चात मरे गधे पर गोश्त चढ़ जाना और उसका ज़िन्दा हो जाना, ज़ब्ह की हुई अलग–अलग पहाड़ों पर डाली गई चिड़ियों का ज़िन्दा होना, इस तरह तीन सौ वर्षों से ज़्यादा अस्हाबे कहफ सोते रहे, पहाड़ से ऊँटनी निकल पड़ी, समन्दर में खुश्क रास्ता हो गया, हज़रत ईसा अ0 ने मुर्दों को ज़िन्दा किया, मिट्टी की चिड़िया को फूंक मार कर उड़ा दिया, अंधों की बीनाइयां (दृष्टि) दी, हज़रत मूसा अ0 ने डण्डा जमीन पर रखा तो अजगर बन गया। बगल से हाथ निकाला तो भारी चमक पैदा हुई।

फिर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के खर्के आदत (मुअ़जिज़ात) का तो शुमार मुमकिन नहीं, ऐसी सूरत में क्या कोई कुर्आन पर ईमान रखने वाला खर्क़े आदत (अस्वाभाविक) बातों का इन्कार कर सकता है। हरगिर्ज नहीं, वह बद किस्मत है जो कुर्आन पर ईमान रखता है और कुर्आन मजीद की खर्क़े आदत बातों की तकज़ीब करता है।

खर्क़े आदत बातों का इन्कार करने वाले अस्ल में अल्लाह की कुदरत के मुनकिर हैं, वरना जिस अल्लाह ने

आग में जलाने की खासियत रखी है उसमें ठण्ड़क की खासियत पैदा कर सकता है, और किया है। आतिशे नमरूद को हुक्म हुआ, ठण्डी हो जा, वह ठण्डी हो गयी, छुरी को हुक्म हुआ, हज़रत इस्माईल अ0 का गला मत काट, नहीं काटा। मछली को हुक्म हुआ कि यूनुस अ0 तेरे पेट में चालीस रोज़ तक महफूज रहेंगे तो मछली ने आप को हज़्म न किया और ज़िन्दा उगल दिया। हज़रत सुलैमान अ0 का तख़्त हवा में उड़ना और महीनों का रास्ता घन्टों में तै होना, बिलकीस का तख़्त पलक झपकते हज़रत सुलैमान अ0 के सामने होना।

मगर अफसोस आज बहुत से उलमा जदीद दौर के साइंसदानों और अक्ल के गुलाम दानिश्वरों से मरअूब नज़र आते हैं और मुअ़जिज़ात और करामात के ज़िक्र से गुरेज़ करते नज़र आते हैं, हालांकि सही यही है कि अगर कोई इस्लाम की सारी बातों को मान ले मगर मुअ़जिज़ात का इन्कार करे तो वह सही माने में मुसलमान नहीं है, लिहाजा चाहिए कि हम अपनी किसी भी तकरीर या तहरीर को मुअजिज़ात के बयान से खाली न छोड़ें। जब हम मरने के बाद की ज़िन्दगी पर ईमान रखते हैं, कियामत पर ईमान रखते हैं, हश्र के मैदान की तफ्सीलात पर ईमान रखते हैं, पुले सिरात को मानते हैं, अल्लाह और उसके इनआमात को मानते हैं, दोजख़ और उसके अजाब को मानते हैं, हालांकि साइंस वाले हों या दूसरे अक़्ल वाले, सब इनके सुबूत से आजिज़ हैं, सिर्फ और सिर्फ हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके लाए हुए कुर्आने करीम की खबरों को मानते हैं, और ज़रा भी शक नहीं करते तो फिर वह खर्के आदत वाले बातें जिनको हमारी आँखों ने नहीं देखा मगर किताब व सुन्नत से उनकी तस्दीक हुई उनके न मानने और महज अक़्ल के पीछे अपना अक़ीदा ख़राब करना सही नहीं है। जिस तरह जन्नत हक है, जहन्नम हक है बरजख़ हक है, उसी तरह मुअ़जिज़ात हक हैं, करामतें हक हैं। मुअ़जिज़ात तो किताब व सुन्नत से साबित हैं, उनमें किसी के गढ़ने का कोई इमकान नहीं। मगर करामात में लोगों ने खूब–खूब रंग आमोज़ी की है, लिहाज़ा मुतलक़ करामत का इन्कार तो नाजाइज है लेकिन किसी वली की जानिब मुतअय्यन करामत का इन्कार नाजाइज नहीं। जैसे एक वली के बारे में करामत गढ़ी गई कि एक शख़्स की किस्मत में कोई औलाद न थी, उन वली ने उसको सात औलादें दी, एक वली के बारे में बताया गया कि उन्होंने हज़रत इजराईल अ0 से बहुत सी रूहें जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से निकाली थीं सब को छुड़वा दिया। एक वली ने बारह साल पहले डूबी कश्ती जिसमें दुल्हा और दुल्हन थे अपनी करामात से दरिया से ज़िन्दा निकाल दिया वगैरह। इस तरह लोगों ने बहुत सी करामतें गढ़ ली हैं, बस अगर कोई करामत अक़ली तौर पर गढ़ी लगे और उसका इन्कार किया जाये तो इन्शा अल्लाह

कोई पकड़ न होगी, अलबत्ता मुतलक़ करामत का इन्कार दुरुस्त नहीं।

मुअ़जिज़ाते अंबिया सब हक़ हैं और करामते औलिया भी हक़ है। याद रहे! मुअ़जिज़ा नुबुव्वत की दलील है, लेकिन करामत वली की अलामत या दलील नहीं। करामत अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर चलने वाले से कभी–कभी उसकी इ़ज्जत अ़फजाई के लिए जाहिर हो जाती है। यह भी मुमकिन है कि एक मुत्तबेअ़ सुन्नत वली–ए–कामिल हों, मगर उससे कोई भी करामत ज़ाहिर न हो। खर्क़े आदत की एक तीसरी किस्म भी है अल्लाह की मसलहत शैतान को ताकियामत छूट मिली है वह बाज़ इन्सानों को बहका कर उनके लिए खर्क़े आदत बातें मुहय्या करता है ताकि उसे देख कर लोग उसकी जानिब झुकें और बेराह हो जाएं सिहर भी इसी में से है। मैंने ऐसे मुतसव्विफ़ को देखे हैं जो नमाज़ रोज़े से बहुत दूर शराब में धुत उनसे बाज खर्क़े आदत बातें देखीं गईं लोग न समझी से उन्हें करामत समझे और बहक गए। बाज़ मुतसव्विफ़ को देखा लम्बी दाढ़ी, सर पर काकुलें, टखने तक कुर्ता, न नमाज न रोज़ा, ना महरम औरतें सर में तेल डाल रही हैं, हाथ पैर की मालिश कर रही हैं, उनसे बाज़ खर्क़े आदत बातें ज़ाहिर हुईं जिन्हें लोग धोखे से करामत समझ बैठे, याद रहे यह करामत नहीं इसतिदराज है।

❑❑

प्रिय पाठको! सलाम मसनून

आपका प्यारा सच्चा राही आप की सेवा में बराबर भेजा जा रहा है, परन्तु बड़े खेद की बात यह है कि हमारे बहुत से पाठकों का वार्षिक चन्दा बाकी है, उनको बार-बार लिखा जा चुका है। कृपया अपना चन्दा तुरन्त भेजें या न भेजने का कारण लिखें।

सम्पादक

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

—डॉ0 मुईद अशरफ़ नदवी

पेंशन विभाग के मुताबिक देश में बढ़ रही है बुजुर्गों की औसत उम्र—विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर इस बार नीति निर्माताओं का ध्यान बुजुर्गों की सेहत पर केंद्रित है, जो सराहनीय पहल है। लेकिन इससे भी अच्छी खबर यह है कि हमारे देश में औसत आयु बढ़ रही है। इसी का नतीजा है कि हर साल सौ का आंकड़ा पार करने वाले बुजुर्ग भी बढ़ रहे हैं।

देश में सौ साल तक जीने वालों का कोई आधिकारिक रिकार्ड नहीं तैयार किया जाता है। लेकिन एक विभाग ऐसा है जिसके पास कुछ हद तक इसकी जानकारी है। वह है केंद्र सरकार का पेंशन विभाग। उसके रिकार्ड को देखें तो 2011 में 1675 पेंशनर थे जो 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे। नियमानुसार इन्हें दोगुनी पेंशन देने का प्रावधान हैं। इसलिए ये आंकड़े पूरी तरह चौकस हैं। पेंशन विभाग के मुताबिक जीवन की सेंचुरी लगाने वालों की संख्या एक साल में करीब 384 बढ़ गई है। 2010 में ऐसे पेंशनर 1291 थे। इन आंकड़ों को यदि नमूने के तौर पर इस्तेमाल करें तो देश भर में इस समय तकरीबन 2.1 लाख लोग ऐसे होंगे जो जीवन के 100 सावन देख चुके होंगे। साठ साल की आयु पार कर चुके पेंशनरों (सिविल) की संख्या 6,57,869 है। इनमें से 1675 शतायु हैं। यह कुल पेंशनरों की .25 फीसदी है। देश में करीब 8.6 करोड़ लोग वरिष्ठ नागरिक हैं। यदि पेंशनरों के प्रतिशत को आधार बनाकर कुल शतायु बुजुर्गों की संख्या निकालें तो यह करीब 2.1 लाख बैठती है।

- एक साल में बढ़े हजारों उम्रदराज पेंशनर (2010–11 के बीच)
- 100 साल से अधिक 384
- 95 साल से अधिक 738
- 90 साल से अधिक 2174
- 85 साल से अधिक 3869
- 80 साल से अधिक 3491

(स्रोतः जनसंख्या विभाग)

कुल पेंशनर (सिविल) 6,57,869

इमामे हरम

मई 2012 की लिख लो यह अद्भुत गाथा
नदवे के चप्पे-चप्पे पर लोगों ने टेका माथा
ख़ालिद ग़ामिदी हरमे काबा के इमाम
अल्लाह के हुक्म से नदवे में किया क़ियाम
4 मई को जुमा पढ़ाया 5 लाख थे पीछे उनके
जिनके मन में खोट था सुलग रहे थे जैसे जल के